



सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार उद्यम)
सीआईएन : U75111TN2004GOI054824

17^{वीं} वार्षिक प्रतिवेदन

2021-2022

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन मेरीटाइम विश्वविद्यालय, उत्तंडी चेन्नै - 600 119

सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824

बोर्ड के निदेशक

श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री टी.के.रामचंद्रन, आई.ए.एस.,
वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण - नामित निदेशक

श्री राम मोहन राव, आई.ए.एस.,
विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण - नामित निदेशक

श्री स्मरजीत कुमार विश्वास
सरकारी नामित निदेशक

श्री परमेश्वर बाली
सरकारी नामित निदेशक

प्रोफेसर डॉ.जी.वाई.वी.विक्टर
ट्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - अतिरिक्त निदेशक

श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाद, आईआरएसईई
पारादीप पत्तन प्राधिकरण - अपर निदेशक

श्री डी.रमण मूर्ति
सामान्य प्रबंधक (वित्त)

श्री एन.रामचंद्र मूर्ति
सामान्य प्रबंधक (परियोजना)

लेखापरीक्षक

मेसर्स नारायणा अय्यर एण्ड कं
चार्टर्ड एकाउंटेंट, चेन्नै

प्रधान बैंकर्स

इंडियन बैंक, हारबर शाखा, चेन्नै-600 001

पंजीकृत कार्यालय

इंडियन मारीटाइम विश्वविद्यालय, उत्तंडी, चेन्नै - 600 119

कार्पोरेट कार्यालय

एंकरगेट भवन, प्रथम तल, कलेक्टरेट के सामने, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001

परियोजना कार्यालय

तालुक कार्यालय भवन, प्रथम तल, रामेश्वरम - 623526

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विषय

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	अध्यक्ष का संदेश	1
2	सहा. महा. प्र. के लिए नोटिस	3
3	निदेशक का रिपोर्ट	11
4	कार्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	40
5	सी एवं ए जी की टिप्पणी	44
6	संविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	47
7	दि.31 मार्च 2022 तक की लेखा परीक्षा	69
8	लेखा नीति तथा लेखे पर टिप्पणी	71
9	नकद प्रवाह विवरणिका	87

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

अध्यक्ष का संदेश



प्रिय शेयरधारकों

एससीएल के निदेशक बोर्ड तथा मेरी ओर से, आपके कंपनी के इस सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपको स्वागत करने में हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित लेखा, निदेशक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन आपके बीच पहले ही वितरित किया गया है।

आप इस बात से अवगत हैं कि भारत में, 12 मुख्य बंदरगाह और 185 मध्यवर्ती तथा लघु बंदरगाहों के साथ 7517 किलोमीटर का प्रायद्वीपीय तट उपलब्ध है और स्मरणातीत समय से समुद्रीय व्यापार वैश्विक तौर पर कर रहा है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिम तटों के बीच नौवहन व्यापार भी बहुत ही दीर्घावधि से चालित है। भारत के तट में पूर्वी तथा पश्चिमी तटों को जुड़ानेवाले निरंतर नौपरिवहन चैनल न होने के कारण से, पॉक स्ट्रेट तथा आदम ब्रिज क्षेत्र में उथला पानी की उपलब्धता के कारण से जहाजों को श्रीलंका के तटों का परिभ्रमण करना पड़ रहा है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों तथा अन्य देशों के बीच स्टीमिंग दूरी को कम करने के लिए तथा भारत के प्रादेशिक जलों के अन्दर नौपरिवहन को विकसित करने के लिए, सेतुसमुद्रम केनल नामक जहाज केनल को काटने के लिए 1860 से कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

चैनल को स्थापित करने की दृष्टिकोण से, भारत सरकार ने सितंबर 2, 2004 को सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल) को विशेष प्रयोजन वाहक के रूप में निर्माण किया और इसे कंपनी के रूप में दिसंबर 6, 2004 को निगमित किया गया।

परियोजना का वर्तमान स्थिति

विभिन्न विसंगति के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दि.14.09.2007 को आदम ब्रिज/राम सेतु में ड्रेजिंग कार्य को लंबित कर दिया। लंबित न्यायालय मामलों के कारण सभी ड्रेजिंग कार्यों को पाल्क बे/पाल्क स्ट्रेइट में जुलाई 2009 के दौरान रोक दिया गया।

मार्च 2018 के दौरान भारत सरकार ने साक्षी फाइल करके यह बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्र के हित में आदम ब्रिज/राम सेतु को बाधा/नष्ट किए बिना सेतुसमुद्रम जहाज चैनल परियोजना के पिछले संरेखन पर दूसरा विकल्प देखना चाहा तथा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका का निपटान किया गया तथा हियरिंग व अंतिम निर्णय अपेक्षित है।

पाल्क बे/पाल्क स्ट्रेइट में ड्रेजिंग कार्य की प्रगति

34.50 मिलियन घ.मी की कुल मात्रा में 21.43 घ.मी अर्थात् 62.12% का ड्रेजिंग किया गया।

आदम ब्रिज में ड्रेजिंग कार्य की प्रगति

48.05 मिलियन घ.मी की कुल मात्रा में 9.52 घ.मी अर्थात 19.81% का ड्रेजिंग किया गया ।

परियोजना के साथ संबंधित अन्य कार्य की प्रगति

नौचालन बोया, मूरिंग लॉन्चस और पाइलट लॉन्चस

एससीएल ने 65 सं नेवीगेशनल बोया 8 सं के मूरिंग लांचस तथा 6 सं पाइलट लांचस खरीदा क्योंकि प्रचालन की शुरुआत में विलंब होने कारण एस सी एल ने सभी आइटमों को विभिन्न पोर्टों में ऑवुटराइट सेल के आधार पर बेचा ।

वित्तीय निष्पादन

आपके कंपनी के पास रु.3.68 करोड़ के नकद अधिशेष है तथा विभिन्न बैंकों में अल्प अवधि जमा की है । कंपनी अब भी निर्माण की स्थिति में है तथा प्रचालन अब तक शुरु नहीं हुआ । फिर भी कंपनी ने, पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए रु.80.52 लाख के विरुद्ध समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने रु.10.22 लाख के निबल लाभ का पंजीकृत किया ।

औद्योगिक संबंध

प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा ।

पावती

पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ । मैं, बोर्ड के सहयोगियों को, जिन्होंने बोर्ड के प्रचालनों में सक्रिय भाग लेने अपना बहुमूल्य समय अर्पित किया तथा जिनके गहरे ज्ञान तथा मार्गदर्शन विभिन्न समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में अंशदानीय रहा, को आभार प्रकट करना चाहूँगा । बैंकरों तथा कानूनी काउन्सलों को उनकी सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा ।

निष्कर्ष

समाप्त करने के पहले, सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किये गये ईमानदारीपूर्ण प्रयत्नों की ओर गहरे आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा, जिसने इस वर्ष के दौरान कंपनी की प्रगति को प्रतिवेदित करने में सहयोग प्रदान किया ।

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : चेन्नै

तारीख : 29.12.2022

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन: यू75111टीएन2004जीओआई054824

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन मेरीटाइम विश्वविद्यालय, उत्तंडी चेन्नै - 600 119

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के शेयर धारकों का सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, 30.12.2022 (शुक्रवार) को 04:00 बजे (आईएसटी) को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड कक्ष में और विडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) में या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों से निम्नलिखित कार्यकलाप को निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कार्यकलाप

1. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते का विवरण, 31 मार्च, 2022 तक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षा जनरल की टिप्पणियां, विचार करने तथा अनुमोदन देने।
2. “मेसर्स नारायणा अय्यर एण्ड कंपनी को बैठक की समाप्ति से अगले वार्षिक सामान्य बैठक तक लेखाकार के रूप में रु.60,000/- जीएसटी सहित तथा पारिश्रमिक सेवा पर नियुक्त करने, भारत की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा उनके पत्र दि. 02.09.2022 को निर्धारित अन्य शर्त व नियम के तहत स्वीकृति प्रदान किया जाता है”

विशेष कार्यकलाप

3. श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरनाथ, आई.आर.टी.एस. (डीआईएन सं. 07295378) अध्यक्ष, पारादीप पत्तन प्राधिकरण को नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

विचार करने तथा अगर उपयुक्त माना जाता है तो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने

“संकल्पित किया जाता है कि श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरनाथ, आई.आर.टी.एस., पारादीप पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को कंपनी के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

“आगे संकल्पित किया जाता है किसी निदेशक को डिजिटल हस्ताक्षर करने, उसे कंपनी पंजीयक के साथ दर्ज करने तथा इस विषय के संबंध में आवश्यक अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।”

4. कप्तान एस. दिवाकर (डीआईएन सं. 09675405) एम डी व सी ई ओ (एसी), ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

विचार करने तथा अगर उपयुक्त माना जाता है तो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने

“संकल्पित किया जाता है कि. कप्तान एस. दिवाकर, एम डी व सी ई ओ (एसी), ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को कंपनी के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

“आगे संकल्पित किया जाता है किसी निदेशक को डिजिटल हस्ताक्षर करने, उसे कंपनी पंजीयक के साथ दर्ज करने तथा इस विषय के संबंध में आवश्यक अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।”

बोर्ड के आदेश अनुसार

ह/-

(श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान: चेन्नै

तारीख: 15.12.2022

टिप्पणी

ए) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) द्वारा जारी किए गए परिपत्र दि.31.12.2022 को एक कामन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") के आयोजन की अनुमति दिया गया।

बी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में मतदान में भाग लेने के हकदार सदस्य को अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, और सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, रूट मैप और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य हाथ उठाकर या पोल के मामले में कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल पते के माध्यम से ईमेल भेजकर बैठक के दौरान संकल्पों पर अपना वोट दे सकते हैं। उक्त ईमेल केवल कंपनी द्वारा परिचालित नामित ईमेल पते पर भेजे जाएंगे।

सी) बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति/ऐसे अन्य दस्तावेज भेजें जो उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

डी) सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम गणना करने के उद्देश्य से की जाएगी।

ई) सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को तुरंत सूचित करें।

एफ) इस वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश

1. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वेब लिंक और लॉग-इन क्रेडेंशियल्स नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट को अग्रेषित करने वाले ई-मेल में प्रदान किए जाएंगे।

2. सदस्य मोबाइल/लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक वक्तव्य।

मद सं. 3

पोत परिवहन मंत्रालय अपने पत्र सं.पीडी-26014/1/2004-सेतु, दि 17.9.2004 के तहत सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड स्थापन के लिए अपने अनुमोदन संप्रेषित करते हुए बताया है कि प्रारंभ में अध्यक्ष, तूत्तुकोरिन पत्तन प्राधिकरण, एससीएल का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक रहेगा तथा भाग लेनेवाले महा पत्तनों के अध्यक्ष व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी पदेन आधार पर कंपनी का निदेशक होंगे ।

कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन की खंड 122 (सी) के अनुसार, अगर प्रमोटर पोर्ट/ कंपनी नामित सेवानिवृत्त होंगे या इस्तीफा देंगे या हटाया जाएगा या किसी भी समय पद को रिक्त छोड़ेगा तो धारा 121 के तहत, संबंधित प्रमोटर पोर्ट / कंपनी ऐसे नामित निदेशक की सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, हटाया जाना या अन्यथा पर और एक प्रतिस्थापन नामांकित निदेशक को नामित कर सकता है ।

तदनुसार पारादीप पत्तन प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफए/बीयूडी/आर/446(4)/2020-21/970, दिनांक. 25.10.2021 द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री विनीत कुमार, आईआरएसईई (डीआईएन नंबर 07990215) के स्थान पर श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरनाथ, आईआरटीएस, (डीआईएन नंबर 07295378) अध्यक्ष, पारादीप पत्तन प्राधिकरण को एससीएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है और इसे दि.13.12.2021 को आयोजित निदेशक मंडल की 68वीं बैठक में रिकॉर्ड किया गया था।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है:

विवरण	विस्तार
जन्म तिथि	16.08.1966
शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता	भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी 1994 बैच। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से एमएससी और पीएच.डी.
व्यापार/व्यवसाय	अध्यक्ष पारादीप पत्तन प्राधिकरण

योग्यता	27 साल की सेवा। भारतीय रेलवे में 22 साल और 5 साल पोत परिवहन मंत्रालय में सेवा।	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड में आयोजित प्रतिभूतियां	शून्य	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अन्य निदेशकों के साथ संबंध	लागू नहीं	
अन्य कंपनियों में निदेशक/सदस्यता	कंपनी का नाम	हित/संबंधित की प्रकृति
	पारादीप पत्तन प्राधिकरण	अध्यक्ष
	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	गैर-कार्यकारी निदेशक
	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी	निदेशक
	भारतीय पोर्ट रेल व रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निदेशक
	शिप्पिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	निदेशक
पिछला पारिश्रमिक	लागू नहीं	
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया गया विवरण।	

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 की ओर से श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरनाथ, आईआरटीएस, (डीआईएन नंबर 07295378) को एससीएल के नामित निदेशक के प्रतिनिधि पारादीप पत्तन प्राधिकरण द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यालय संभाला जाएगा । आपके निदेशकों द्वारा यह महसूस होता है कि बोर्ड के साथ उनका सहयोग कंपनी के लिए सर्वोत्तम श्रेष्ठ होगा । यह विचार किया जाता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवा को जारी करना होगा तथा शेयरहोल्डर के अनुमोदन हेतु, इस संकल्प की सिफारिश की जाती है ।

पारादीप पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रतिनिधित्व नामित निदेशक श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरनाथ, आईआरटीएस, (डीआईएन नंबर 07295378) के अलावा अन्य निर्देशकों में से किसी को भी उनकी नियुक्ति के हद तक निदेशक के रूप में नहीं किया जाता ।

मद सं. 4

पोत परिवहन मंत्रालय अपने पत्र सं.पीडी-26014/1/2004-सेतु, दि 17.9.2004 के तहत सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड स्थापन के लिए अपने अनुमोदन संप्रेषित करते हुए बताया है कि प्रारंभ में अध्यक्ष, तूतुकोरियन पत्तन प्राधिकरण, एससीएल का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक रहेगा तथा भाग लेनेवाले महा पत्तनों के अध्यक्ष व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी पदेन आधार पर कंपनी का निदेशक होंगे ।

कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन की खंड 122 (सी) के अनुसार, अगर प्रमोटर पोर्ट / कंपनी नामिती सेवानिवृत्त होंगे या इस्तीफा देंगे या हटाया जाएगा या किसी भी समय पद को रिक्त छोड़ेगा तो धारा 121 के तहत, संबंधित प्रमोटर पोर्ट / कंपनी ऐसे नामित निदेशक की सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, हटाया जाना या अन्यथा पर और एक प्रतिस्थापन नामांकित निदेशक को नामित कर सकता है ।

तदनुसार, डीसीआई के पूर्व पत्र संख्या डीसीआई/सीएस/एससीएल/2021, दि.07.09.2021, के अनुसार, प्रो. जी.वाई.वी. विक्टर, (डीआईएन नंबर 09084442) तत्कालीन एमडी और सीईओ को दि.13.12.2021 को संपन्न एससीएल के निदेशक मंडल की 68वीं बैठक में एससीएल के बोर्ड में उपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

आगे, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) ने अपने पत्र सं. डीसीआई/सीएस/एससीएल/2022-23, दि.19.09.2022 द्वारा सूचित किया जाता है कि कैप्टन एस. दिवाकर, (डीआईएन नंबर 09675405) प्रबंध निदेशक और सीईओ, (एसी) ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एससीएल के बोर्ड में डीसीआई के नामिती के रूप में नामित किया गया है, दिनांक 28.10.2022 को संपन्न हुई निदेशक मंडल की 72वीं बैठक में रिकॉर्ड किया गया था। ।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है:

विवरण	विस्तार
जन्म तिथि	23/06/1968-आयु-54 वर्ष
शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता	ड्रेज मास्टर ग्रेड- I का प्रमाण पत्र
व्यापार/व्यवसाय	पूर्णकालिक निदेशक-प्रबंध निदेशक और सीईओ (अतिरिक्त प्रभार)
योग्यता	कैप्टन.एस. दिवाकर, मुख्य महाप्रबंधक, जिन्हें कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, ने वर्ष 1987 में एक कैडेट के रूप में डीसीआई में अपना करियर शुरू किया और 'ड्रेजर मास्टर' के पद पर पहुंचे और कैडेट से

	कैप्टन तक लगभग 18 वर्षों तक अलग-अलग क्षमताओं में ऑनबोर्ड ड्रेजर्स में सेवा किया। विभिन्न प्रकार के ड्रेजर के पूर्ण संचालन पर समृद्ध ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने पर, वे तट सेवा में शामिल हो गए और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर लगभग 12 वर्षों तक सेवा की, 30 वर्षों तक ऑनबोर्ड ड्रेजर्स के साथ-साथ तटवर्ती दोनों में जिम्मेदार पदों पर काम किया, परिचालनों के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल दोनों के तकनीकी वाणिज्यिक पहलुओं की अनूठी विशेषज्ञता प्राप्त की।	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड में आयोजित प्रतिभूतियां	शून्य	
सेतुसमुद्रराम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अन्य निदेशकों के साथ संबंध	शून्य	
अन्य कंपनियों में निदेशक/सदस्यता	कंपनी का नाम	हित/संबंधित की प्रकृति
	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्णकालिक निदेशक-प्रबंध निदेशक और सीईओ (अतिरिक्त प्रभार)
	इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन	निदेशक
पिछला पारिश्रमिक	लागू नहीं	
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया गया विवरण।	

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 की ओर से कैप्टन एस. दिवाकर (डीआईएन संख्या 09675405) ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले एससीएल के नामित निदेशक हैं और इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक कार्यालय संभाला जाएगा । आपके निदेशकों द्वारा यह महसूस होता है कि बोर्ड के साथ उनका सहयोग कंपनी के लिए सर्वोत्तम श्रेष्ठ होगा । यह विचार किया जाता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवा को जारी करना होगा तथा शेयरहोल्डर के अनुमोदन हेतु, इस संकल्प की सिफारिश की जाती है ।

कैप्टन एस दिवाकर (डीआईएन नंबर 09675405) के अलावा कोई भी निदेशक ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले एससीएल के नामित निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति से संबंधित नहीं है या संकल्प में रुचि रखते हैं।

बोर्ड की आदेशानुसार

ह/-

(श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 15.12.2022

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: यू7511टी एन 2004जी ओ 1054824

पंजीकृत कार्यालय: भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, उथांडी, चेन्नई - 600 119

निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारकों को,

आपके निदेशकों को दि.31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ. 17^{वां} वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 को प्रस्तुत करने में बहुत खुशी हो रही है ।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

(लाखों में)

विशेष विवरण	2021-22	2020-21
अन्य कमाई	64.63	178.53
खर्च	(74.85)	(55.46)
पूर्व अवधि समायोजन	-----	-----
लाभ हानि इससे पहले कर तथा असाधारण आइटम	(10.22)	123.07
असाधारण वस्तु	-----	-----
कर खर्च	0.00	(42.55)
कर के बाद लाभ / हानि	(10.22)	80.52

2. वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। इस बीच, पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने कानूनी राय प्राप्त करने के बाद पो.प.मं को कंपनी को बंद करने का प्रस्ताव भेजने के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 59/03 दिनांक 28 जून 2019 पारित किया है। इसके अलावा, दि. 29.04.2021 को पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कंपनी को बंद करने और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देय राशि के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतिम रूप से बंद होने की सूचना मंत्रालय द्वारा आज तक नहीं दी गई है। बंद करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु.10.22 लाख 19 की हानि दर्ज की। जैसा कि पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए रु. 80.52 लाख के लाभ के मुकाबले था। ब्याज आय में कमी और किराये के खर्च में वृद्धि के कारण नुकसान हुआ।

3. लाभांश

चूंकि वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आपके निदेशक द्वारा रिपोर्ट के तहत अवधि के लिए लाभांश की सिफारिश नहीं किया गया।

4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं।

एसएससीपी में कंपनी द्वारा पहले से ही किए गए ड्रेजिंग कार्यों के संबंध में, पो.प.मं द्वारा गठित एसएसएफ समिति द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से तय की जाने वाली दर पर एक लंबे समय से लंबित विवाद था। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रु.136.72 करोड़ की देय राशि डीसीआई को अदायगी करनी हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान एससीएल ने एससीएल के पास उपलब्ध निधि से रु. 20.00 करोड़ का निपटान किया था, और आपकी कंपनी ने डीसीआई को देय बकाया राशि के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है।

5. ऋण, गारंटी का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत कंपनी ने कोई ऋण और गारंटी नहीं दी है।

6. निवेश

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा कोई विशिष्ट निवेश नहीं किया गया है।

7. सावधि जमा

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

8. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए उन न्यूनतम वित्तीय लेन-देन की स्वीकृति और रिकॉर्डिंग के लिए अनुमोदन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं के सेट के माध्यम से अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं। हर लेनदेन जीएम (एफ) द्वारा अनुमोदित है। प्रत्येक पहली बार लेनदेन को सीएमडी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीतियों की आवश्यकता के आधार पर बोर्ड का अनुमोदन मांगा और प्राप्त किया जाएगा

9. निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3))

वित्तीय विवरण आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार संचयन के आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किए जाते हैं। जीएएपी में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक शामिल हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, अधिनियम के प्रावधान को अपनाने में निर्धारित लेखांकन मानकों से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है।

निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

(ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उस वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और हानि, और कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके।

(सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है तथा

(डी) निदेशकों ने वार्षिक खाते चालू संस्था के आधार पर तैयार किए हैं;

(ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; और

(एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

10. लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2021-22 के लिए मैसर्स नारायण अय्यर एंड कंपनी को नियुक्त किया है।

10.1 सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, मैसर्स नारायण अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड लेखाकारों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के खातों पर प्रतिकूल राय दी है।

10.2 सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (1) के तहत निदेशक की व्याख्या, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल राय या अस्वीकरण पर रिपोर्ट निम्न प्रकार से है।

क्र सं	लेखापरीक्षक रिपोर्ट का राय	प्रबंधन का उत्तर
1	हमने मैसर्स स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है। सेतुसमुंदरम कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) जिसमें 31 मार्च, 2022 तक की बैलेंस शीट शामिल है, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन	कंपनी ने नोट 31 में इस तथ्य का खुलासा किया है कि दिनांक 18.06.2019 के पत्र के माध्यम से पो.प.मं के निर्देशों के अनुसार, एससीएल ने अपनी 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2019 में

	का विवरण और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण समाप्त हो गया है और नोट करता है स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है । हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी से और हमारे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय अनुभाग के लिए आधार में चर्चा किए गए मामले के महत्व के कारण, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृश्य नहीं देते हैं। धारा एमओएस के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों सहित। अधिनियम का 133, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ पढ़ा जाए, 31 मार्च, 2022 तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए। कंपनी के मामलों की स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित इसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह आदि शामिल है ।	कानूनी राय प्राप्त करने के बाद पो.प.मं को कंपनी को बंद करने का प्रस्ताव भेजने के लिए स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार, एससीएल को बंद करने का प्रस्ताव मंत्रालय को 28.08.2019 को भेजा गया था। एससीएल को बंद करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में एसजी की राय भी 13.12.2019 को भेजी गई थी। चूंकि कंपनी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगी ।
2.	प्राप्त साक्ष्य और परिस्थितियाँ जैसा कि सामग्री अनिश्चितता के अस्तित्व को इंगित करती हैं प्रतिकूल जो कंपनी की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती हैं और इसलिए वित्तीय विवरण चालू स्थिति के आधार पर तैयार नहीं किए जाएंगे। एक प्रतिष्ठान चल रही चिंता के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार नहीं करेगा च प्रबंधन रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह निर्धारित करता	स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट की राय के आधार पर पैरा संख्या 3 में एक इकाई वित्तीय विवरणों को निरंतर आधार पर तैयार नहीं करेगी प्रबंधन उस पर रिपोर्टिंग अवधि निर्धारित किया है या तो वह इकाई को समाप्त करना चाहता है या व्यापार बंद करना चाहता है, या इसका कोई वास्तविक नहीं है या

है कि या तो वह इकाई को समाप्त करना चाहता है या व्यापार बंद करना चाहता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।" आधार कंपनी ने 2004 से स्थापना के बाद से अब तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कैपिटल ड्रेजिंग कार्य को विभिन्न मुकदमों में निलंबित कर दिया गया था। वर्ष 2009 और उसके बाद से परिचालन गतिविधियों की समाप्ति के लिए पो.प.मं के पत्र दिनांक 18.06.2019 के निर्देशों के अनुसार, एससीएल ने अपनी 59 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2019 में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद पो.प.मं को कंपनी को बंद करने का प्रस्ताव भेजने के लिए स्वीकृति प्रदान की। अपर सॉलिसिटर जनरल ने दि.13.12.2019 को राय दी है कि निगम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 272 के तहत अन्य शर्तों के अधीन समाप्त किया जा सकता है। दिनांक 29.04.2021 को कंपनी को बंद करने पर चर्चा करने के लिए माननीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देय राशि के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। दि.24.06.2021 के संचार के अनुसार पत्तन व पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बकाया राशि के संबंध में निर्णय लेने और दि.24.06.2021 के भीतर कंपनी को बंद करने के लिए गतिविधियों को पूरा करने के	ऐसा करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। हालांकि, प्रबंधन अभी तक इकाई को समाप्त करने या कंपनी को बंद करने का इरादा नहीं रखता है और इस संबंध में मंत्रालय की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए वित्तीय विवरण को चालू व्यापार आधार पर तैयार किया जाता है।
---	---

	लिए एक समयरेखा तैयार करने का अनुरोध किया है। इस रिपोर्ट की तारीख तक इस पर कोई विकास नहीं हुआ है।	
3	नोट के संबंध में शेष राशि की पुष्टि कंपनी विविध समायोजन पूंजीगत अग्रिमों, व्यापार प्राप्य जमाराशियों और पूंजी निकर्षण के लिए प्रावधान के संबंध में स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की प्रक्रिया संख्या 5.6 और 13 में है और इसे प्राप्त किया जाना है और इसका मिलान किया जाना है।	संबंधित पार्टियों से जमा, विविध समायोजन विविध प्राप्य और पूंजीगत अग्रिम की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में कंपनी करती है। बकाया शेष राशि में किसी भी महत्वपूर्ण अंतर की उम्मीद नहीं है यदि कोई अंतर है तो उसे अगले लेखा वर्ष में सुलझाया और सुधारा जाएगा ।
4	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या कैटीरिया के आधार पर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। इस कारण से, हमारी राय के लिए बेसिस प्रदान करने हेतु पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था या क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दि.31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम किया जा रहा है ।	कंपनी ने अपना व्यवसाय संचालन शुरू नहीं किया है और मुख्य रूप से निवेश करने और निवेश पर ब्याज की आय के बहुत कम लेनदेन में शामिल है। कंपनी ने उन न्यूनतम वित्तीय लेनदेनों की स्वीकृति और रिकॉर्डिंग के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं के सेट के माध्यम से अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक लेनदेन जीएम (एफ) द्वारा अनुमोदित है। प्रत्येक का अनुमोदन पहली बार लेनदेन को सीएमडी द्वारा किया जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीतियों की आवश्यकता के आधार पर बोर्ड का अनुमोदन मांगा जाएगा और प्राप्त किया जाएगा ।

11. सचिवीय लेखापरीक्षा

एमएस. जॉन ओ एसोसिएट्स, अभ्यास करने वाले कंपनी सचिवों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी का सचिवालय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया है कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशकों और कंपनी सचिव की नियुक्ति को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों और नामित निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

11.1 सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 के निदेशकों ने सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता या अस्वीकरण पर यूएस 204 की व्याख्या

क्र सं	सचिवालय लेखापरीक्षक रिपोर्ट में योग्यता	प्रबंधन का उत्तर
1.	सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता स्वतंत्र निदेशकों और कंपनी सचिव की नियुक्ति को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों और नामित निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है।	कंपनी ने पहले ही एससीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है, हालांकि, आज तक मंत्रालय ने एससीएल के बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। कंपनी ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करके एक कंपनी सचिव नियुक्त करने का प्रयास किया है और उपयुक्त उम्मीदवारों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सचिवालय इंडिया, चेन्नई से भी अनुरोध किया है। तमाम कोशिशों के बावजूद कंपनी सचिव की नियुक्ति की जा रही है।

12. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडीए) लागू नहीं है, क्योंकि एससीएल ने अभी तक अपना व्यावसायिक संचालन शुरू नहीं किया है।

13. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) लागू नहीं है, क्योंकि एससीएल ने अपना व्यावसायिक संचालन शुरू नहीं किया है।

14. न्यायालयों या नियामकों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश

नियामकों या अदालतों न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है।

15. वार्षिक विवरणी का उद्धरण

अनुलग्नक - 2 के रूप में संलग्न है ।

16. धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिया गया घोषणा पत्र

लागू नहीं

17. कंपनी की नीति धारा 178(1) और (3) के तहत निदेशक की नियुक्ति तथा मानदेय

कृपया कॉरपोरेट गवर्नेंस का पैरा 2 देखें।

18. धारा 188(1) के तहत संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध या व्यवस्था

शून्य

19. कंपनी मामलों की स्थिति

एक सरकारी संगठन होने के नाते, कंपनी द्वारा विनियमित प्रणाली और प्रक्रियाएं का प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाता है

20. रिजर्व में स्थानांतरण

शून्य

21. जोखिम प्रबंधन नीति का विकास और कार्यान्वयन

निदेशक मंडल अपनी बैठक में परियोजना और वित्त से जुड़े जोखिमों का जायजा लेता है और उचित निर्णय लेता है।

22. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत कर्मचारियों का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी को

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधान के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं लिया है। कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार नहीं है।

23. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार, आपके निदेशकों का कहना है कि कंपनी ने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए प्रावधान लागू नहीं हैं।

कंपनी के पास प्रौद्योगिकी समावेशन से संबंधित कोई गतिविधि नहीं है और थी वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई आय या व्यय नहीं।

24. उधार:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी सावधि ऋण का लाभ नहीं उठाया है।

25. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने भारत के नागरिकों को जानकारी प्रदान करने और कंपनी के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर विधिवत कार्रवाई की गई और उनका जवाब दिया गया।

26. कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट परिशिष्ट 3 में संलग्न है।

कृते सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से
ह./-
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 28.12.2022

जॉन ओ एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिवालय लेखापरीक्षक

डॉ जे. जॉन ओहिल्वी, एमकाम., एलएलबी, एफसीएस, पीएचडी
कंपनी सचिव

3/95ए, मेडिकल कॉलेज के पूर्वी तरफ
असरीपालन 629201
नागरकोयिल तमिलनाडु,
सेल: 098421-34891, 095788-08888
फोन- 04652-234289
ई-मेल: johnohilvi@yahoo.co.in
वेबसाइट: www.johnohilvi.com

दि.

फार्म नं. एमआर-3
सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति और वेतन कार्मिक) नियम, 2014
का नियम सं.9 के आधार पर]

सेवा में
सदस्य,
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लि.,
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट,
ईस्ट कोस्ट रोड, उत्तंडी,
चेन्नै - 600 119

मैंने सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन: यू75111टीएन 2004 जी ओ आई054824)
(इसके बाद कंपनी समझा जाएगा) के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कार्पोरेट
प्रक्रिया का पालन का सचिवालयीन लेखा परीक्षा की। कार्पोरेट आचरण/सांविधि अनुपालन के मूल्यांकन
हेतु तथा अपने विचार प्रकट करने हेतु औचित्यपूर्ण आधार प्रावधान के अनुरूप सचिवालय लेखापरीक्षा
चलाई गई।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित कंपनी का बुक, पेपर, मिन्ट बुक, फार्मस तथा फाइल किया गया रिटर्नस
तथा अन्य रिकार्ड का जांच और कंपनी, उनके अधिकारी, एजेंट्स तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा,
सचिवालय लेखापरीक्षा के दौरान दी गई सूचना के आधार पर, मैं अपने विचार पर यह रिपोर्ट करता हूँ
कि, 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखापरीक्षा अवधि को शामिल करते हुए, निम्न सूचित
सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया तथा कंपनी के पास उक्त बोर्ड-प्रक्रिया है तथा अनुपालन
यंत्र, इसके बाद की गई रिपोर्ट के अनुरूप है।

मैं ने, प्रावधानों के अनुसार दि.31 मार्च 2022 के वित्तीय वर्षांत के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण किए गए अन्य रिकार्ड व फाइल किए गए रिटर्नस तथा प्रपत्र, मिनट पुस्तिका, पैपेर्स, पुस्तिकाओं का परीक्षण किया ।

(i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) व नियम निम्न प्रकार से होगा ।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 / 2013 के तहत बनाए गए कार्यविधियों तथा इस संबंध में फाइल किए गए रिटर्नस को पूरा किया ।

फिरभी, कंपनी द्वारा बोर्ड में स्वायत्त निदेशकों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई ।

(ii) सुरक्षा ठेका (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') तथा नियम निम्न प्रकार से होगा ।

(iii) डेपासिटरीस अधिनियम 1996 तथा विनियम व उपनियम निम्न प्रकार से होगा ।

(iv) विदेशी एक्सेंज प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा नियम व विनियम निम्न प्रकार से होगा ।

(v) सुरक्षा व एक्सेंज बोर्ड इण्डिया अधिनियम 1992 ('एस ई बी आई अधिनियम') के तहत उल्लिखित विनियम व मार्गदर्शन लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सार्वजनिक कंपनी के गैर सूचिगत है ।

(ए) भारत के सुरक्षा व एक्सेंज बोर्ड (शेयर्स के अनुवर्ती प्रापण व टेकओवर्स) विनियम 2011

(बी) भारत के सुरक्षा व एक्सेंज बोर्ड (इनसैडर ट्रेडिंग के निषेध) विनियम 1992 ।

(सी) भारत के सुरक्षा व एक्सेंज बोर्ड (पूँजी व डिस्क्लोशर मॉग) विनियम 2009 ।

(डी) भारत के सुरक्षा व एक्सेंज बोर्ड (जारी व शेर ट्रान्सफर एजेंट्स के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 ।

(vi) जैसा कि मुझे निम्नलिखित अन्य कानूनों के बारे में बताया गया है जो विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू हैं ।

1. वेतन का भुगतान अधिनियम 1936

2. निम्नतम वेतन अधिनियम 1948

3. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

4. ठेका श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970

5. बाल श्रम निषेध तथा नियममिकरण अधिनियम 1986

6. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986

7. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

मैंने निम्नलिखित लागू खण्डों का अनुपालन को भी जाँच किया ।

- (i) भारत कंपनी सचिव के संस्थापन द्वारा जारी सचिवालय मानक
- (ii) लोक कंपनी के रूप में कंपनी गैर सूचित होने के कारण, टॉक विनियम द्वारा विवरित सूची करार लागू नहीं होगा ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अवलोकन के आधार पर उपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, मार्गदर्शन, मानक आदि को कंपनी द्वारा अनुपालित किया गया है ।

कंपनी द्वारा वाणिज्यिक प्रचलन चालू किया जाना है तथा परियोजनाओं को लेने की स्थिति में कंपनी तथा विभिन्न सरकारी की स्वीकृती की अपेक्षा है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि :-

कंपनी के न्यासी मंडल उक्त संख्या में बोर्ड में कंपनी सचिव, महिला निदेशक, स्वायत्त निदेशकों की नियुक्ति ने अलावा कार्यपालक निदेशक तथा गैर-कार्यपालक निदेशक और नामित निदेशकों के साथ गठित है तथा बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यासी मंडल में घटित परिवर्तन समीक्षाधीन है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में चलाया गया है । अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड के निदेशकों में परिवर्तन किया गया ।

बोर्ड बैठक की अनुसूची हेतु सभी निदेशकों को सूचित किया गया तथा कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी अग्रिम रूप में प्रेषित किया गया तथा कार्यसूची में बैठक से पहले आगे की सूचना प्राप्ति और स्पष्टीकरण हेतु और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी हेतु प्रक्रिया मौजूद है ।

कार्यवृत्त के एक हिस्से के रूप में गैर सहमत के सदस्यों का विचार को भी ध्यान लेकर निर्णय लिया जाता है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू विधि, नियम विनियम और मार्गदर्शन के साथ मानिटर और सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार और प्रचलन के अनुरूप कंपनी की प्रक्रिया और प्रणाली है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, लेखपरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी कार्यकलाप पर मुख्य धारण के उपरोक्त विधि, नियम, विनियम, मार्गदर्शन आदि के अनुपालन में कोई विशेष घटना के लिए कार्रवाई नहीं है ।

ह/-

जे. जॉन ओहिल्वी

एफसीएस:4513 / सीपी:4010

यूडीआईएन:एफ004513डी002657779

स्थान: नागरकोविल

दि: 08 / 12 / 2022

परिशिष्ट - I

सेवा में

सभी सदस्य

सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड

राष्ट्रीय इन्स्टिट्यूट आफ पोर्ट मनेजमेंट

ईस्ट कोस्ट रोड, उतंडी,

चेन्नै - 600119

इस पत्र के साथ समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट को पढ़ें ।

1. सचिवालय रिकार्ड का अनुरक्षण हमारे कंपनी के प्रबंधन का तर्कसंगत है । हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन सचिवालय रिकार्ड पर हम अपने विचारों का व्यक्त करें ।
2. हमने लेखा परीक्षा की प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं पर अनुपालन किया क्योंकि हमने इन सचिवालय रिकार्ड के विषय की सही हेतु उचित आश्वासन प्राप्त किया है । आवलोकन का टेस्ट के आधार पर किया गया ताकि सचिवालय रिकार्ड में इन सही तथ्यों की दर्शाने की सुनिश्चितता कर सकें । हमें लेखा परीक्षा की प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं पर विश्वास है । हमारे विचार हेतु उचित आधार पर अनुपालन किया है ।
3. वित्तीय रिकार्डों तथा कंपनी के लेखा पुस्तिकाओं के सहिष्णुता तथा उचित उपयुक्तता का अवलोकन नहीं किया है ।
4. जहाँ भी आवश्यकता होती है हमने कानूनी अनुपालन नियम व विनियम तथा घटक आदि के संबंध में प्रबंधन से प्रत्यावेदन प्राप्त किया है ।
5. कार्पोरेट तथा अन्य लागू कानून, नियम, विनियम स्ट्रैंडर्ड तथा कार्पोरेट के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है । टेस्ट आधार पर कार्यविधियों का अवलोकन पर हमारी परीक्षा सीमित है ।
6. सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट या तो कंपनी के भविष्य व्यवहार्यता पर आश्वासन न हो या प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों में प्रभावी नहीं किया हो।

स्थान : नागरकोयिल

दिनांक : 08/12/2022

ह/-

जे.जॉन आहिलवी

एफसीएस:4513/सीपी:4010

यूडीआईएन:एफ004513डी002657779

FORM NO. MGT-7

[Pursuant to sub-Section(1) of section 92 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1) of rule 11 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]



Annual Return

(other than OPCs and Small Companies)

Form language ☒ English ☐ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

(i) * Corporate Identification Number (CIN) of the company

U75111TN2004GOI054824

Pre-fill

Global Location Number (GLN) of the company

* Permanent Account Number (PAN) of the company

AAICS8428D

(ii) (a) Name of the company

SETHUSAMUDRAM CORPORAT

(b) Registered office address

NATIONAL INSTITUTE OF PORTMANAGEMENT
EAST COAST ROAD UTHANDI
CHENNAI
Chennai
Tamil Nadu
600110

(c) *e-mail ID of the company

scl.sscp@gmail.com

(d) *Telephone number with STD code

04425270651

(e) Website

(iii) Date of Incorporation

06/12/2004

(iv)	Type of the Company	Category of the Company	Sub-category of the Company
	Public Company	Company limited by shares	Union Government Company

(v) Whether company is having share capital

☒ Yes ☐ No

(vi) *Whether shares listed on recognized Stock Exchange(s)

☐ Yes ☒ No

(b) CIN of the Registrar and Transfer Agent

Pre-fill

Name of the Registrar and Transfer Agent

Registered office address of the Registrar and Transfer Agents

(vii) *Financial year From date (DD/MM/YYYY) To date (DD/MM/YYYY)

(viii) *Whether Annual general meeting (AGM) held ☒ Yes ☐ No

(a) If yes, date of AGM

(b) Due date of AGM

(c) Whether any extension for AGM granted

☒ Yes ☐ No

(d) If yes, provide the Service Request Number (SRN) of the application form filed for extension

Pre-fill

(e) Extended due date of AGM after grant of extension

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

*Number of business activities

S.No	Main Activity group code	Description of Main Activity group	Business Activity Code	Description of Business Activity	% of turnover of the company
1	H	Transport and storage	H3	Water transport	0

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES (INCLUDING JOINT VENTURES)

*No. of Companies for which information is to be given

Pre-fill All

S.No	Name of the company	CIN / FCRN	Holding/ Subsidiary/Associate/ Joint Venture	% of shares held
1				

IV. SHARE CAPITAL, DEBENTURES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY

(i) *SHARE CAPITAL

(a) Equity share capital

Particulars	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Total number of equity shares	1,000,000,000	745,000,000	745,000,000	745,000,000
Total amount of equity shares (in Rupees)	10,000,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000

Number of classes

1

Class of Shares	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Number of equity shares	1,000,000,000	745,000,000	745,000,000	745,000,000
Nominal value per share (in rupees)	10	10	10	10
Total amount of equity shares (in rupees)	10,000,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000

(b) Preference share capital

Particulars	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid-up capital
Total number of preference shares	0	0	0	0
Total amount of preference shares (in rupees)	0	0	0	0

Number of classes

0

Class of shares	Authorised capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid up capital
Number of preference shares				
Nominal value per share (in rupees)				
Total amount of preference shares (in rupees)				

(c) Unclassified share capital

Particulars	Authorised Capital
Total amount of unclassified shares	0

(d) Break-up of paid-up share capital

Class of shares	Number of shares			Total nominal amount	Total Paid-up amount	Total premium
Equity shares	Physical	DEMAT	Total			
At the beginning of the year	745,000,000	0	745,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	

Increase during the year	0	0	0	0	0	0
i. Public Issues	0	0	0	0	0	0
ii. Rights issue	0	0	0	0	0	0
iii. Bonus issue	0	0	0	0	0	0
iv. Private Placement/ Preferential allotment	0	0	0	0	0	0
v. ESOPs	0	0	0	0	0	0
vi. Sweat equity shares allotted	0	0	0	0	0	0
vii. Conversion of Preference share	0	0	0	0	0	0
viii. Conversion of Debentures	0	0	0	0	0	0
ix. GDRs/ADRs	0	0	0	0	0	0
x. Others, specify 						
Decrease during the year	0	0	0	0	0	0
i. Buy-back of shares	0	0	0	0	0	0
ii. Shares forfeited	0	0	0	0	0	0
iii. Reduction of share capital	0	0	0	0	0	0
iv. Others, specify 						
At the end of the year	745,000,000	0	745,000,000	7,450,000,000	7,450,000,000	
Preference shares						
At the beginning of the year	0	0	0	0	0	
Increase during the year	0	0	0	0	0	0
i. Issues of shares	0	0	0	0	0	0
ii. Re-issue of forfeited shares	0	0	0	0	0	0
iii. Others, specify 						
Decrease during the year	0	0	0	0	0	0
i. Redemption of shares	0	0	0	0	0	0

ii. Shares forfeited	0	0	0	0	0	0
iii. Reduction of share capital	0	0	0	0	0	0
iv. Others, specify						
At the end of the year	0	0	0	0	0	

ISIN of the equity shares of the company

(ii) Details of stock split/consolidation during the year (for each class of shares)

Class of shares		(i)	(ii)	(iii)
Before split / Consolidation	Number of shares			
	Face value per share			
After split / Consolidation	Number of shares			
	Face value per share			

(iii) Details of shares/Debentures Transfers since closure date of last financial year (or in the case of the first return at any time since the incorporation of the company) *

☒ Nil

[Details being provided in a CD/Digital Media]

☐ Yes ☐ No ☐ Not Applicable

Separate sheet attached for details of transfers

☐ Yes ☐ No

Note: In case list of transfer exceeds 10, option for submission as a separate sheet attachment or submission in a CD/Digital Media may be shown.

Date of the previous annual general meeting		
Date of registration of transfer (Date Month Year)		
Type of transfer		1 - Equity, 2- Preference Shares, 3 - Debentures, 4 - Stock
Number of Shares/ Debentures/ Units Transferred		Amount per Share/ Debenture/Unit (in Rs.)

Ledger Folio of Transferor							
Transferor's Name							
	Surname		middle name		first name		
Ledger Folio of Transferee							
Transferee's Name							
	Surname		middle name		first name		

Date of registration of transfer (Date Month Year)							
Type of transfer			1 - Equity, 2- Preference Shares,3 - Debentures, 4 - Stock				
Number of Shares/ Debentures/ Units Transferred			Amount per Share/ Debenture/Unit (in Rs.)				
Ledger Folio of Transferor							
Transferor's Name							
	Surname		middle name		first name		
Ledger Folio of Transferee							
Transferee's Name							
	Surname		middle name		first name		

(iv) *Debentures (Outstanding as at the end of financial year)

Particulars	Number of units	Nominal value per unit	Total value
Non-convertible debentures	0	0	0
Partly convertible debentures	0	0	0
Fully convertible debentures	0	0	0

Particulars	Number of units	Nominal value per unit	Total value
Total			0

Details of debentures

Class of debentures	Outstanding as at the beginning of the year	Increase during the year	Decrease during the year	Outstanding as at the end of the year
Non-convertible debentures	0	0	0	0
Partly convertible debentures	0	0	0	0
Fully convertible debentures	0	0	0	0

(v) Securities (other than shares and debentures)

0

Type of Securities	Number of Securities	Nominal Value of each Unit	Total Nominal Value	Paid up Value of each Unit	Total Paid up Value
Total					

V. *Turnover and net worth of the company (as defined in the Companies Act, 2013)

(i) Turnover

0

(ii) Net worth of the Company

8,157,945,000

VI. (a) *SHARE HOLDING PATTERN - Promoters

S. No.	Category	Equity		Preference	
		Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage
1.	Individual/Hindu Undivided Family				
	(i) Indian	0	0	0	
	(ii) Non-resident Indian (NRI)	0	0	0	
	(iii) Foreign national (other than NRI)	0	0	0	
2.	Government				
	(i) Central Government	635,000,000	85.23	0	
	(ii) State Government	0	0	0	
	(iii) Government companies	0	0	0	

3.	Insurance companies	0	0	0	
4.	Banks	0	0	0	
5.	Financial institutions	0	0	0	
6.	Foreign institutional investors	0	0	0	
7.	Mutual funds	0	0	0	
8.	Venture capital	0	0	0	
9.	Body corporate (not mentioned above)	110,000,000	14.77	0	
10.	Others	0	0	0	
	Total	745,000,000	100	0	0

Total number of shareholders (promoters)

8

(b) *SHARE HOLDING PATTERN - Public/Other than promoters

S. No.	Category	Equity		Preference	
		Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage
1.	Individual/Hindu Undivided Family				
	(i) Indian	0	0	0	
	(ii) Non-resident Indian (NRI)	0	0	0	
	(iii) Foreign national (other than NRI)	0	0	0	
2.	Government				
	(i) Central Government	0	0	0	
	(ii) State Government	0	0	0	
	(iii) Government companies	0	0	0	
3.	Insurance companies	0	0	0	
4.	Banks	0	0	0	
5.	Financial institutions	0	0	0	
6.	Foreign institutional investors	0	0	0	
7.	Mutual funds	0	0	0	

8.	Venture capital	0	0	0	
9.	Body corporate (not mentioned above)	0	0	0	
10.	Others	0	0	0	
	Total	0	0	0	0

Total number of shareholders (other than promoters)

0

**Total number of shareholders (Promoters+Public/
Other than promoters)**

8

**VII. *NUMBER OF PROMOTERS, MEMBERS, DEBENTURE HOLDERS
(Details, Promoters, Members (other than promoters), Debenture holders)**

Details	At the beginning of the year	At the end of the year
Promoters	8	8
Members (other than promoters)	0	0
Debenture holders	0	0

VIII. DETAILS OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

(A) *Composition of Board of Directors

Category	Number of directors at the beginning of the year		Number of directors at the end of the year		Percentage of shares held by directors as at the end of year	
	Executive	Non-executive	Executive	Non-executive	Executive	Non-executive
A. Promoter	0	4	0	4	0	0
B. Non-Promoter	0	0	0	0	0	0
(i) Non-Independent	0	0	0	0	0	0
(ii) Independent	0	0	0	0	0	0
C. Nominee Directors representing	0	3	0	3	0	0
(i) Banks & FIs	0	0	0	0	0	0
(ii) Investing institutions	0	0	0	0	0	0
(iii) Government	0	3	0	3	0	0
(iv) Small share holders	0	0	0	0	0	0

(v) Others	0	0	0	0	0	0
Total	0	7	0	7	0	0

Number of Directors and Key managerial personnel (who is not director) as on the financial year end date

7

(B) (i) *Details of directors and Key managerial personnel as on the closure of financial year

Name	DIN/PAN	Designation	Number of equity share(s) held	Date of cessation (after closure of financial year : If any)
RAVEENDRAN PALAN	07640613	Managing Director	0	30/09/2021
SMARAJIT KUMAR BIS	09128811	Nominee director	0	
PARMESHWAR BALI	09128834	Nominee director	0	
THANALAPATHY KRIS	03104487	Director	0	
VINIT KUMAR	07990215	Additional director	0	
SUNIL PALIWAL	01310101	Nominee director	0	
RAMA MOHANA RAO K	07620951	Nominee director	0	

(ii) Particulars of change in director(s) and Key managerial personnel during the year

5

Name	DIN/PAN	Designation at the beginning / during the financial year	Date of appointment/ change in designation/ cessation	Nature of change (Appointment/ Change in designation/ Cessation)
HARANADH LAKSHMI	07295378	Director	03/09/2020	Cessation
RINKESH ROY	07404080	Nominee director	18/03/2021	Cessation
CYRIL C GEORGE	07499367	Nominee director	18/03/2021	Cessation
SANGEETA ANIL SHAH	07969443	Nominee director	18/03/2021	Cessation
RAJESH TRIPATHI	03379442	Nominee director	18/03/2021	Cessation

IX. MEETINGS OF MEMBERS/CLASS OF MEMBERS/BOARD/COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

A. MEMBERS/CLASS /REQUISITIONED/NCLT/COURT CONVENED MEETINGS

Number of meetings held

1

Type of meeting	Date of meeting	Total Number of Members entitled to attend meeting	Attendance	
			Number of members attended	% of total shareholding
ANNUAL GENERAL MEETING	28/12/2020	9	5	0

B. BOARD MEETINGS

*Number of meetings held

4

S. No.	Date of meeting	Total Number of directors associated as on the date of meeting	Attendance	
			Number of directors attended	% of attendance
1	10/09/2020	8	5	62.5
2	07/12/2020	8	4	50
3	18/03/2021	7	6	85.71
4	31/03/2021	7	6	85.71

C. COMMITTEE MEETINGS

Number of meetings held

1

S. No.	Type of meeting	Date of meeting	Total Number of Members as on the date of the meeting	Attendance	
				Number of members attended	% of attendance
1	AUDIT COMMITTEE	07/12/2020	3	3	100

D. * ATTENDANCE OF DIRECTORS

S. No.	Name of the director	Board Meetings			Committee Meetings			Whether attended AGM held on
		Number of Meetings which director was entitled to attend	Number of Meetings attended	% of attendance	Number of Meetings which director was entitled to attend	Number of Meetings attended	% of attendance	30/12/2021
								(Y/N/NA)
1	RAVEENDRA	4	4	100	1	1	100	No
2	SMARAJIT K	4	1	25	0	0	0	Yes
3	PARMESHWA	4	1	25	0	0	0	Yes
4	THANALAPAT	4	3	75	0	0	0	Yes
5	VINIT KUMAR	4	1	25	0	0	0	No

6	SUNIL PALIW	4	4	100	1	1	100	Yes
7	RAMA MOHA	4	4	100	1	1	100	Yes

X. *REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

☒ Nil

Number of Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

Number of CEO, CFO and Company secretary whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

Number of other directors whose remuneration details to be entered

S. No.	Name	Designation	Gross Salary	Commission	Stock Option/ Sweat equity	Others	Total Amount
1							0
	Total						

XI. MATTERS RELATED TO CERTIFICATION OF COMPLIANCES AND DISCLOSURES

* A. Whether the company has made compliances and disclosures in respect of applicable provisions of the Companies Act, 2013 during the year ☐ Yes ☒ No

B. If No, give reasons/observations

As per Secretarial Auditor Report

XII. PENALTY AND PUNISHMENT - DETAILS THEREOF

(A) DETAILS OF PENALTIES / PUNISHMENT IMPOSED ON COMPANY/DIRECTORS /OFFICERS ☒ Nil

Name of the company/ directors/ officers	Name of the court/ concerned Authority	Date of Order	Name of the Act and section under which penalised / punished	Details of penalty/ punishment	Details of appeal (if any) including present status

(B) DETAILS OF COMPOUNDING OF OFFENCES ☒ Nil

Name of the company/ directors/ officers	Name of the court/ concerned Authority	Date of Order	Name of the Act and section under which offence committed	Particulars of offence	Amount of compounding (in Rupees)

XIII. Whether complete list of shareholders, debenture holders has been enclosed as an attachment

☒ Yes ☐ No

XIV. COMPLIANCE OF SUB-SECTION (2) OF SECTION 92, IN CASE OF LISTED COMPANIES

In case of a listed company or a company having paid up share capital of Ten Crore rupees or more or turnover of Fifty Crore rupees or more, details of company secretary in whole time practice certifying the annual return in Form MGT-8.

Name

J.JOHN OHILVI

Whether associate or fellow

☐ Associate ☒ Fellow

Certificate of practice number

4010

I/We certify that:

- (a) The return states the facts, as they stood on the date of the closure of the financial year aforesaid correctly and adequately.
(b) Unless otherwise expressly stated to the contrary elsewhere in this Return, the Company has complied with all the provisions of the Act during the financial year.

Declaration

I am Authorised by the Board of Directors of the company vide resolution no. ... 68/02 dated 13/12/2021

(DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

- Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
- All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

Note: Attention is also drawn to the provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

To be digitally signed by

Director

SUNIL PALIWAL
Digitally signed by
SUNIL PALIWAL
Date: 2022.02.18
17:33:13 +05'30'

DIN of the director

01310101

To be digitally signed by

OHILVI JOHN
Digitally signed by
OHILVI JOHN
Date: 2022.02.18
17:46:15 +05'30'

- ☐ Company Secretary
- ☒ Company secretary in practice

Membership number

Certificate of practice number

Attachments

1. List of share holders, debenture holders
2. Approval letter for extension of AGM;
3. Copy of MGT-8;
4. Optional Attachement(s), if any

Attach
Attach
Attach
Attach

List of attachments

Approval letter for extention of AGM.pdf
FORM-MGT-8_2021.pdf
share holders list 2021.pdf

Remove attachment

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सूचीबद्ध और असूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश जारी किए थे। आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन करता है जिसमें बोर्ड, कर्मचारी, शेयरधारक और अन्य हितधारक शामिल होते हैं। कंपनी का प्रबंधन और कर्मचारी पारदर्शिता, अखंडता, ईमानदारी और जवाबदेही के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 दि.31.03.2022 को निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी इस प्रकार से है ।

क्र सं	निदेशक का नाम	प्रतिनिधित्व पोर्ट/कंपनी
01	श्री सुनील पालीवाल, आईएएस (डीआईएन सं.01310101)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
02	श्री टी.के. रामचन्द्रन, आईएएस (डीआईएन सं.03104487)	वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण नामित निदेशक प्रतिनिधि
03	श्री राम मोहन राव, आईएएस (डीआईएन सं.07620951)	विशाखपटनम पत्तन प्राधिकरण नामित निदेशक प्रतिनिधि
04	श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आई आर टी एस., (डीआईएन सं.07295378)	पारीदीप पत्तन प्राधिकरण अपर निदेशक प्रतिनिधि
05	श्री स्मरजित कुमार बिस्वास (डीआईएन सं.09128811)	पत्तन व पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के नामित निदेशक प्रतिनिधि
06	श्री परमेस्वर बाली (डीआईएन सं.00128834)	पत्तन व पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के नामित निदेशक प्रतिनिधि
07	प्रोफ.डॉ जी.ओय.वी.विक्टर (डीआईएन सं.09084442)	ट्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया अपर निदेशक प्रतिनिधि

कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होते हैं और सीपीएसयूएस के निदेशक/निदेशक और महा पत्तनों से निदेशक और अध्यक्ष-सह-मैन पदेन आधार पर भाग लेने वाले नामशिपिंग मंत्रालय से, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी कंपनी के अनुच्छेद

122 (बी) के अनुसार, वीओसीपीए का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक गैर-घूर्णी निदेशक होंगे।

2.2 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड के निदेशक मंडल में परिवर्तन

क्र सं	निदेशक का नाम	प्रतिनिधित्व पोर्ट/कंपनी
01	श्री सुनील पालीवाल आई.ए.एस.,	दि.22.10.2021 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार
02	श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आई आर टी एस.,	दि.13.12.2021 से नियुक्ति
03	प्रोफ.डॉ जी.ओय.वी.विक्टर	दि.13.12.2021 से नियुक्ति
04	श्री पी.रवींद्रन, आई आर टी एस	दि.13.12.2021 से सेशन
05	श्री विनीत कुमार, आई आर एस ई ई	दि.13.12.2021 से सेशन

आपके निदेशक ने श्री पी रवींद्रन, आईआरटीएस और श्री विनीत कुमार, आईआरएसईई आपकी कंपनी के बोर्ड में उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त उनकी बहुमूल्य सेवाओं और मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना करना चाहते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के पास आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। चूंकि आपकी कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। स्वतंत्र निदेशक को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाना है। आपकी कंपनी ने मामले को पत्तन व पोत परिवहन और जलमार्ग, मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाया है।

2.3 वर्ष 2021-22 के दौरान (दि.01.04.2021 से 31.03.2022 तक) दि.7.7.2021, 13.12.2021, 16.03.2022, 30.3.2022 को संपन्न बैठकों में प्रत्येक निदेशकों की उपस्थिति तथा दि.30.12.2021 को संपन्न अंतिम एजीएम का विवरण निम्न प्रकार से है।

निदेशक का नाम	पदनाम और वर्ग	वर्ष में बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछले एजीएम में उपस्थिति
		आयोजित	उपस्थित	
श्रीसुनील पालीवाल (डीआईएन सं.01310101)	निदेशक— सह प्रबंध निदेशक	3	3	हाँ

श्री पी.रवींद्रन, आई आर टी एस (डीआईएन सं.07640613)	पूर्व निदेशक – सह प्रबंध निदेशक	1	1	लागू नहीं
श्री टी.के. रामचन्द्रन (डीआईएन सं.03104487)	निदेशक— गैर—कार्यपालक	4	1	नहीं
श्री राम मोहन राव (डीआईएन सं.07620951)	निदेशक— गैर—कार्यपालक	4	4	हाँ
श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरानाथ, आई आर टी एस.,(डीआईएन सं.07295378)	निदेशक— गैर—कार्यपालक	3	--	नहीं
प्रोफ.डॉ जी.ओय.वी.विक्टर (डीआईएन सं.09084442)	निदेशक— गैर—कार्यपालक	3	2	हाँ
श्री विनीत कुमार (डीआईएन सं.07990215)	निदेशक— गैर—कार्यपालक	1	--	नहीं
श्री परमेस्वर बाली (डीआईएन सं.00128834)	निदेशक— गैर—कार्यपालक	4	3	हाँ
श्री स्मरजित कुमार बिस्वास (डीआईएन सं.09128811)	निदेशक— गैर—कार्यपालक	4	3	हाँ

3. लेखा परीक्षा समिति

दि.31.03.2022 को निम्न सदस्य कंपनी के लेखा परीक्षा समिति में शामिल हैं ।

निदेशक का नाम	पदनाम
श्री टी.के. रामचन्द्रन (डीआईएन सं.03104487)	अध्यक्ष
प्रोफ.डॉ जी.ओय.वी.विक्टर (डीआईएन सं.09084442)	सदस्य
श्री स्मरजित कुमार बिस्वास (डीआईएन सं.09128811)	सदस्य

4. वार्षिक सामान्य बैठक

पिछले तीन सालों के दौरान संपन्न ए जी एम बैठकों का स्थान, समय व तारीख का विवरण निम्न प्रकार से है ।

वर्ष	स्थान	तारीख	समय
2020-21	चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड कक्ष, चेन्नै - 600 001	30.12.2021	10.30 सबेरे
2019-20	चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड कक्ष, चेन्नै - 600 001	28.12.2020	11.30 सबेरे
2018-19	चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड कक्ष, चेन्नै - 600 001	20.12.2019	03.00 शाम को

5. प्रकटीकरण

प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन या सामग्री ई का लेन-देन नहीं है, जो कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है। मामलों पर कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई उदाहरण नहीं था। कंपनियों के लागू प्रावधानों से संबंधित अधिनियम 2013 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान साल और किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड, सख्ती नहीं थी।

6. औद्योगिक संबंध

प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण हैं।

7. लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा

बोर्ड ने समय-समय पर कंपनी के सभी लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा की है और सभी लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

8. पावती

आपके निदेशक ने पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन आदि में भागलेनेवाले अधिकारी शामिल होंगे। आपके निदेशक भी इस अवसर पर बैंकों और कंपनी के कर्मचारियों के समर्थन और सहयोग को धन्यवाद देते हैं।

कृते निदेशक मंडल

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से

ह/-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 28.12.2022

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नै

नं.डीजीसीए/सी ए -II/4-9/2022-23/

दि.17.01.2023

सेवा में

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड
एंकर गेट भवन,
पहली मंजिल, राजाजी सालै
चेन्नै – 600 001

महोदय

विषय : 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय
तालिकाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के
नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक का टिप्पणी

मैं 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय
तालिकाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक व महा
लेखा परीक्षक का टिप्पणी प्रेषित करता हूँ ।

मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की पाँच प्रतियों को, इस कार्यालय में अग्रेषित करने हेतु प्रबंध करें ।

इस पत्र की पावती दें ।

भवदीय,
ह/-
(देविका नायर)
महानिदेशक

संलग्न : उपरोक्त जैसा ।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नै

नं.डीजीसीए/सी ए -II/4-9/2022-23/

दि.17.01.2023

सेवा में

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्य कार्यालय, चेन्नै – 600 014

महोदय

विषय : पूरक लेखापरीक्षा 2021-22 पर प्रबंधन पत्र – के संबंध में!

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड की वर्ष 2021-22 की पूरक लेखापरीक्षा पूरी की गई और लेखा परीक्षा टिप्पणी दि.13.01.2023 को जारी की गई । निम्नलिखित दोष/कमि लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई लेकिन लेखा परीक्षा टिप्पणियों में शामिल नहीं की गई, सुधारात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस में लाई गई है ।

दि.31.03.2022 तक पूँजी कार्य में प्रगति में रु.2.27 करोड मूल्य के नेविगेशनल अनुदान शामिल है। लेकिन निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण (2020-21) स्पष्ट करता है कि खरीदे गए 65 नेविगेशनल बायस सभी बिक गए थे क्योंकि संचालन शुरू होने में देरी हुई थी। इसलिए पूँजीगत कार्य प्रगति के तहत रु.2.27 करोड मूल्य के नौवहन सहायता के लेखांकन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जा सकता है। प्रबंधन पत्र कृपया बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

इस पत्र की पावती दें ।

भवदीय,
ह/-
(देविका नायर)
महानिदेशक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमदरम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै के वित्तीय तालिकाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक का टिप्पणी

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदीकरण रूपरेखा के अनुरूप दि.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमदरम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय तालिकाओं की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 143(10)की धारा के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के साथ अनुरूप में स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित करके अधिनियम की धारा 143 के वित्तीय विवरणिकाओं पर विचार प्रकट करने हेतु अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। उनकी दि.15.12.2022 का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अधीन इन्हें किया जाना उल्लेख किया है।

मैं, भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय तालिकाओं की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी ने कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक हो।

भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की आरे से और के लिए

ह/-

(देविका नायर)

महा निदेशक

स्थान :चेन्नै

दिनांक :17.01.2023

स्वायत्त लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्य

मेसर्स सेतुसमुंदरम कार्पोरेशन लिमिटेड

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक (भा ले मा) के वित्तीय विवरणिकाओं की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने मेसर्स सेतुसमुंदरम लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2022 के तुलनपत्र के अन्य व्यापक आय सहित लाभ व हानि विवरणिका इक्विटी में परिवर्तन और वर्षांत के लिए केश फ्लो के विवरणिका स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिका सहित वर्षांत के लिए महत्वपूर्ण लेखाकीकरण नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी आदि शामिल हैं ।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी से, और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, हमारी रिपोर्ट में योग्य राय के अनुसार उल्लिखित मामले के प्रभावों के अलावा उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरण द्वारा आवश्यक ढंग से कंपनी अधिनियम द्वारा मांगी गई सूचनाओं को प्रकट किया जाता है और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक शामिल हैं, कंपनी के स्टेट आफ अफेयर्स लाभ सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और वर्षांत तक नकदी प्रवाह के कंपनी के (भारतीय लेखाकीकरण मानक) नियम 2015 पठित 31 मार्च 2022 को संशोधित है ।

योग्य राय के लिए आधार

1. वर्ष 2004 से लेकर अब तक कंपनी ने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है । विभिन्न विसंगति के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर वर्ष 2007 में पूँजी ड्रेजिंग कार्य रोक दिया गया । वर्ष 2009 से प्रचालन कार्यकलापों में समापन हाने के कारण कंपनी ने विभिन्न प्रचालन संपत्ति जैसे टगस, नेविगेशनल एड्ड, लांचस, बोया आदि को बेच दिया । दि.18.6.2019 के मंत्रालय के संदर्भादीन पत्र के निर्देशों के अनुसार एस सी एल ने दि.28.6.2019 को 59 वॉ बोर्ड की बैठक में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद कंपनी के समापन के प्रस्ताव के लिए मंत्रालय से अनुमोदन

भेजा। अपर पधन प्रोसेक्यूटर ने दि.13.12.2019 को विचार किया कि कार्पोरेशन को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 272 के तहत समापन किया जा सकता है बशर्ते कि अन्य शर्तों के सहित हो। पत्तन, पोत परिवहन जलमार्ग के राज्य मंत्री के अध्यक्षता पर आयोजित बैठक में दि.29.4.2021 को कंपनी के समापन के बारे में चर्चा कर लिया। ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया के देय की समझौता प्रक्रिया के बारे में चर्चा की।

2. दि.24.6.2021 के सूचना के अनुसार पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया से देय की बाकी राशि के संबंध में निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया तथा 6 महीने के अंदर कंपनी के समापन हेतु कार्यकलापों को पूरा करने हेतु टाइमलाइन को नियत किया जाए।
3. आई एन डी ए एस 1 के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं के प्रत्यावेदन, वित्तीय विवरणिका की तैयारी करते समय प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान को जारी रखने की एक इकाई की क्षमता का आकलन करेगा

प्राप्त साक्ष्य और परिस्थितियों भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है और इसलिए वित्तीय विवरणिकाएँ चालू कंपनी के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी।

4. परिसंपत्तियों और देनदारियों के हानि मूल्य को स्टेडअलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणिकाओं में पहचाना जाना है और हमें पर्याप्त जानकारी और तकनीकी रिपोर्ट की अनुपलब्धता के अभाव में हानि मूल्य की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ है।

कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अपनी परिसंपत्तियों की वसूली और अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हो सकती है। वित्तीय विवरणिकाएँ इस मामले का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं करते।

5. इंडस्ट्रीस ए एस 10 में आगे की प्रासंगिक धाराएँ जैसा लागू हो, को भी यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है।

“एक इकाई अपने वित्तीय विवरण को चालू कंपनी के आधार पर तैयार नहीं करेगी यदि प्रबंधन रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह निर्धारित करता है कि उसका इरादा है इकाई को समाप्त करने या व्यापार बंद करने के लिए या उसके पास ऐसा करने के अलावा

कोई वास्तविक विकल्प नहीं है ।“

”रिपोर्टिंग अवधि के बाद परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति में गिरावट इस बात पर विचार करने की आवश्यकता का संकेत दे सकती है कि क्या चालू कंपनी की धारणा अब भी उपयुक्त है तो प्रभाव इतना व्यापक है कि इस मानक में लेखांकन के मूल आधार के भीमर मान्यता प्राप्त राशियों के समायोजन के बजाय लेखांकन के आधार पर मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी ।“

इस प्रकार इंडस्ट्रीस ए एस 10 कंपनी के आधार पर रिपोर्टिंग तिथि के बाद चालू प्रतिष्ठान की धारणा समाप्त होने पर भी वित्तीय विवरण तैयार किया जा सकता है तो यह उस कंपनी के लिए भी लागू होता है जिसने अपना चंचानल बंद कर दिया है और इस प्रकार रिपोर्टिंग तिथि से पहले चलने की धारणा का अस्तित्व समाप्त हो गया है ।

तैयारी के आधार वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों नोट 2 में कंपनी ने कहा है कि वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के साथ सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं । कंपनी नियम 2015 और अधिनियम के अन्य पासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ें ।

लेखा परीक्षा के लिए हमें प्रस्तुत वित्तीय विवरण मूल धारणा के साथ तैयार किए गए हैं जो ऊपर वर्णित कारणों से मान्य नहीं है । इस प्रकार कंपनी का यह दावा कि वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज ए एस 1 और इंड ए एस 10 ऐसी स्थिति में वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति नहीं देते हैं ।

6. बैंकों के साथ लघु अवधि जमा, विविध समायोजन, विविध प्राप्तियों, पूंजीगत अग्रिमों, व्यापार प्राप्तियों और जमाओं से संबंधित स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण के टिप्पणी सं 5,6,7 तथा 13 की टिप्पणी के लिए पुष्टि ।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएसएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की । हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अनुभाग के लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया गया है। । आचार संहिता के अनुसार भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक आवश्यकताओं के साथ हम कंपनी के स्वतंत्र हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित है । हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी

अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत हमारे योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुबंध की रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट शामिल हैं लेकिन इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में हमारी राय वित्तीय वक्तव्यों में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस बारे में आश्वासन के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय वक्तव्यों के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि अन्य जानकारी को भी पढ़ें और ऐसा करने पर यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या उस समय प्राप्त किए गए ज्ञान से संबंधित है या हमारी लेखा परीक्षा या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि अन्य जानकारी गलत है, हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हम इस निष्कर्ष पर भी आए हैं कि इस तरह की अन्य जानकारी का गलत इस्तेमाल करने से, उपरोक्त योग्य राय, वर्णित मामलों से संबंधित होगा।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा के संदर्भ में संबंधित है और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। योग्य राय हेतु वर्णित मामले के अलावा, हमने नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों से संबंधित हैं।

क्र सं	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	<u>डी सी आई को देय</u> कंपनी द्वारा डी सी आई को देय बाकी को निपटाने हेतु कई समितियाँ आयोजित की है। अंत में पो.प.मंत्रालय ने पोत परिवहन	कंपनी के साथ उपलब्ध सूचना और प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श करने पर, हम समझते हैं, हम समझते हैं कि,

	के स.स व वि.स तथा संस(पी) & डी ए (पी) के साथ समिति स्थापित की। यह समिति ने मई 2019 में बैठक आयोजित किया तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध निधियों में से अदायगी किया गया तथा कंपनी ने सरकार से रु.115.72 करोड के अनुदान का अनुरोध किया। वी व 2021-22 के दौरान, डीसीआई को रु.20 करोड की राशि का भुगतान किया गया। अब डी सी आई को अदायगी की जानेवाली राशि रु.65.72 करोड है।	वर्ष के दौरान कुछ भुगतान किए गए थे और अनुदान की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
2	<u>प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ</u> कंपनी में कई कानूनी और विनियमन मामले हैं जिस पर अंतिम परिणाम की आसानी से नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप अधिक देयताएँ होती हैं। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिकाओं में टिप्पणी 25 में आकस्मिक देयताओं के संबंधित प्रबंधन को प्रकट किया गया है। काम्प्लेक्स मान्यताओं से आधारित विसंगति के साथ मूल्यांकन जोखिम सम्मिलित है। प्रावधान के स्तर का स्थापित करने हेतु न्याय की आवश्यकता होती है जोखिम अधिक होने के कारण प्रावधान व आकस्मिक देयताओं को उचित रूप से प्रावधान नहीं किया जाता या पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किया जाता तदनुसार यह मामला लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मामला रहा।	आकस्मिक देयताएँ तथा विसंगति के समझौता पर्याप्त रूप से प्राप्त करने के लिए हमने पहचान की प्रक्रिया को चर्चा की। प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित किया कंपनी के कार्मिक व प्रबंधन के साथ विभिन्न चर्चाओं द्वारा ऐसे प्रावधान हुआ। हमने पढा जहां लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह हो हमने कंपनी के कुछ निश्चित भौतिक मामलों पर चर्चा की, जो रिपोर्ट में कंपनी के मूल्यांकन की संभावना, परिमाण और किसी भी देयता के लेखांकन का निर्धारण करने के लिए उत्पन्न हो सकते हैं। दि.31 मार्च 2022 को निपटाने हेतु लंबित तथा फाइल किए गए कानूनी मामलों की स्थिति को विश्लेषण किया गया। उपरोक्त के नजर में, हमने रिकॉर्ड किया कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणों में पर्याप्तता प्रकट करने को पता करने के

		लिए हमारे न्याय तथा रिकार्ड किए गए प्रावधानित राशि की समीक्षा किया गया।
--	--	---

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के लिए शासन पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व

धारा 134 (5) कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") में कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदारी है स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिका की तैयारी इस बात का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जाता है कि वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांतों को अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक, प्रासंगिक नियम जारी किया गया । इस उत्तरदायित्व में यह भी शामिल होगा कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड के अनुरक्षण तथा धोखाओं व अन्य अनियमताओं से बचने व पता करने के लिए तथा लेखाकरण नीतियों के उचित चयन, विवेकपूर्ण व उचित प्राक्कलन के निर्णय, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के संबंधित तैयारी व प्रस्तुतीकरण जो सही दृष्टिकोण दर्शाता है तथा धोखे से देय गलती से मुक्त हो ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता को पता करने के लिए जिम्मेदार होंगे कंपनी प्रगति में जारी हो, प्रकटीकरण में लागू हो । प्रगति से संबंधित मामले हो या तो संगठन कंपनी को लिक्विडेट करना चाहा या प्रचालन को आसान करना या ऐसा करने हेतु कोई वास्तविक विकल्प न हो ।

प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे ।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य यह है कि इसका आश्वासन प्राप्त किया जाना है कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरण गलतफहमी से मुक्त हैं या पूर्ण हैं या पूर्ण हैं या धोखे हो या या त्रुटिपूर्ण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा गलती नहीं होगी । गलतफहमी धोखे या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या पूर्ण रूप से वे इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है ।

एसएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अनुसार, भौतिक गलतफहमी के जोखिमों को पहचानें और उनका मूल्यांकन करें, चाहे धोखे या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के डिज़ाइन पर निष्पादित करें, लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखे के परिणामस्वरूप होने वाली गलती के एक त्रुटि से होनेवाले गलती से अधिक हो क्योंकि धोखे में कोल्यूशन, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।
- उपयोग की गई लेखाकीकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन किया जाए।
- लेखाकीकरण की प्रगति प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री की अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक प्रगति में है या नहीं। यदि हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हो तो हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी की प्रगति को जारी किया।
- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणिकाओं में संपूर्ण प्रकटीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें तथा स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिकाओं में लेनदेन का प्रत्यावेदन किया है तथा घटनाओं के उत्तम प्रतिनिधित्व किया जाता है।

हम अन्य मामलों के बीच, शासन, आयोजित विस्तार व लेखा परीक्षा का समय या महत्वपूर्ण फैंडिंगस सहित कोई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा फैंडिंगस सहित आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमि हो जो हम लेखा परीक्षा में पहचान कर सकें के बारे में सूचित किया गया ।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षाबल को भी सूचित किया है। शासन के साथ आरोपित मामलों से सूचित किए जाने पर निर्णय लेते हैं कि संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में वित्तीय विवरणिकाओं की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ऐसी सूचना से जनहित के नजर में बुरी प्रभाव पड़ जाएगी ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी के प्रावधानों में मांगे अनुसार, (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के मामले में परिशिष्ट ए में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू आदेश हम देते हैं ।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे;
- (बी) ऊपर दिए गए योग्य राय के पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कानून द्वारा आवश्यक उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है क्योंकि अब तक उन पुस्तकों के परीक्षण से प्रकट होता है;
- (सी) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के विवरण खाते की पुस्तकों के साथ हैं;
- (डी) हमारे राय में उपरोक्त योग्य राय पैराग्राफ के लिए निर्धारित मामले के प्रभाव के अलावा उपरोक्त कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित स्टैंड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक सहित वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लिखित किया है ।

(ई) कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं जीएसआर 463(ई) दि.5.6.2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा।

(एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में तथा नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में ऐसे प्रयत्न के प्रभाव पर अनुलग्नक बी में हमारी अलग रिपोर्ट को संदर्भित है

(जी) अन्य मामलों के संबंध में लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कंपनी (लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार दिया जाना चाहिए। हमें;

- i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय मानक के वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित विसंगतियों का प्रकट किया है स्टैंडअलोन भारतीय मानक के वित्तीय विवरणिकाओं में टिप्पणी का संदर्भ संख्या 25 पर संदर्भ लें ।
- ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न ठंके सहित कोई लंबी अवधि के अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई भी सामग्री पर हानि होगी ।
- iii. कोई निधि है तो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को स्थानांतरित किया जाना है ।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) द्वारा मांगे अनुसार, हम कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण, अनुबंध सी में देते हैं ।

4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, 2013 के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या.जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते नारायणा अय्यर एण्ड कं
चार्टर्ड एकाउंटेंट,
फर्म पंजीकरण सं.002367S

एस.स्वामीनादन

एम.सं..026258

यूडीआईएन:22026258बीएफएनएमएनजी8140

स्थान : चेन्नै - 600017

तारीख :15.12.2022

अनुलग्नक - ए स्वतंत्र लेखा परीक्षक के लिए रिपोर्ट

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

(i)(ए) (क) हमारी राय में, कंपनी पूर्ण विवरण तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के स्थान सहित, समुचित रिकार्ड रख रही है। तथापि, इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(i)(क)(ख) के अधीन प्रतिवेदन कंपनी पर लागू नहीं होता।

(बी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर सभी संपत्तियों और संयंत्र और उपकरण का भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा अंतिम भौतिक सत्यापन 19 नवम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार किया गया था। पिछले सत्यापन के दौरान कोई सामग्री असंगति नहीं पाई गई।

(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और मूल शीर्षक वाले कामों का सत्यापन नहीं होता।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, प्लांट और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

(ई) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर बेनामी संपत्ति संव्यवहार निषेध अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) (पूर्व में बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या वे लंबित हैं और उसके तहत बनाए गए नियम, और क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में उचित रूप से विवरण प्रकट किया है या नहीं, इस पर हमारी टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कोई वस्तु सूची नहीं थी इसलिए यह खण्ड (ii) कंपनी पर लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड देयता भागीय अथवा अन्य पत्रकारों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, आदेश के खण्ड (iii) (क) से (ग) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।

- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।
- (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है और धारा 73 से 76 के अर्थ में अथवा अधिनियम और कंपनी (जमा की स्वीकृति) के अन्य संगत प्रावधानों के अंदर जनता से स्वीकृत जमाओं के संबंध में नियम 2015 लागू नहीं होते हैं।
- (vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रख-रखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- (vii) (ए) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित अविवादित सांविधिक देय राशि जमा करने में नियमित है और अन्य कोई सांविधिक देय राशि जहां कहीं भी लागू हो, वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ और मार्च, 31 2022 तक देय कोई भी गैर-विवादित राशि उस दिन से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी जिस दिन वे देय हो गए थे।
- (बी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य कोई सांविधिक देय राशियों के संबंध में कोई विवादित देय राशि लागू नहीं है, नीचे दिए गए अनुसार कर को छोड़कर:

कानून का नाम	बकाया की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	राशि (₹.)
स्रोत-आय कर में कर की कटौती	लघु कटौती, ब्याज, वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए विलंब शुल्क।	आय कर अधिकारी 2008-09 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19 2021-22	30/- 980/- 1,470/- 2,050/- 400/- 47,090/-

- (viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर आकलनों में वर्ष के दौरान आत्मसमर्पण की गई या आय के रूप में प्रकट की गई लेखा पुस्तकों में कोई लेन-देन दर्ज नहीं किए गए।
- (ix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों अथवा सरकार से वर्ष के दौरान कोई ऋण (ऋण उपकरणों सहित) प्राप्त नहीं किया है और इसलिए यह खण्ड कंपनी पर लागू नहीं है।
- (x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या ऋण के साधनों, अधिमान्य आवंटन या निजी शेयरों की निजी जमावट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर सहित आगे सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। इसलिए इस खंड (x) के अधीन रिपोर्ट करना कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xi) (क) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृश्य की रिपोर्ट देने के उद्देश्य से हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी या रिपोर्ट नहीं की गई है।
 (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तारीख तक केन्द्रीय सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथा विहित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई प्रतिवेदन दायर नहीं किया गया है।
 (ग) कंपनी के लिए विसिल-ब्लोअर यंत्र अनिवार्य नहीं है और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो। सभी लेन-देन के विवरणों को लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiv) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है और लेखापरीक्षा के अधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार किया गया।
- (xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है।

- (xvi) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई ए के अधीन पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः, इस आदेश के खण्ड 3(xvi)(क), (ख) और (ग) के अधीन प्रतिवेदन लागू नहीं है।
(ख) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज (रिजर्व बैंक) के निर्देशों 2016 में परिभाषित है,) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(d) के तहत प्रतिवेदन लागू नहीं है।
- (xvii) हमारे लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में रु.10.22 लाख नकद की हानि हुई है और पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- (xix) वित्तीय देयताएँ की वसूली और वित्तीय परिसंपत्तियों के भुगतान की समय-समय पर वृद्धावस्था और अपेक्षित तारीख के आधार पर वित्तीय वक्तव्यों और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के प्लान के साथ अन्य सूचना और पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तारीख के अनुसार भौतिक अनिश्चितता बनी हुई है जिससे पता चलता है कि कंपनी तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय राशि के रूप में और जब वे तुलन-पत्र की तारीख से नियत हो जाएं तो विद्यमान अपनी देयताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी प्रतिवेदन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है।
- (xx) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों को कंपनी पर लागू नहीं हैं। अतः, आदेश के खण्ड 3(xx) के अधीन प्रतिवेदन लागू नहीं है।
- (xxi) आदेश के खण्ड 3(xxi) के अधीन रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में लागू नहीं होती है। अतः, इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

कृते नारायण अय्यर एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
फर्म पंजीकरण सं.002367S

एस स्वामीनाथन
पार्टनर/एम सं. 026258

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 15-12-2022

आईएफसीओएफआर पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए और उस दिन मेसर्स सेतुसमुद्र कार्पोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र लेखापरक्षक प्रतिवेदन का अनुलग्नक "बी " (हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन में अन्य कानून व विनियमित आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैरा 2 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड(1) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

उस दिन को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय तालिकाओं का हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयोग में 31 मार्च, 2022 के दिन मेसर्स सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदीकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का हमने लेखा परीक्षण किया ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदीकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शिका में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक भागों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदीकरण मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय निंत्रण स्थापित तथा रखरखाव करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आवश्यकता के अनुसार, विश्वसीय वित्तीय विवरण का समय पर तैयारी, लेखाकरण अभिलेखों की सहीपन तथा संपूर्णता, संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, कपट तथा त्रुटियों का रोकथाम व पहचान, कंपनी नीतियों का अनुपालन सम्मिलित करके व्यापार का सही तथा दक्ष चालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो प्रभावी तौर पर कार्य कर रहा हो, को ढाँचाकृत करना, कार्यान्वयन करना तथा रखरखाव करना सम्मिलित है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारे जिम्मेदारी, वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (मार्गदर्शिका टिप्पणी) तथा लेखा परीक्षण पर मानक के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शिका के अनुपालन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर प्रयोज्य विस्तार तक, हमारे लेखा परीक्षण को आयोजित किया। इस मानक तथा मार्गदर्शिका टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकता का अनुपालन करें और इस उचित आश्वासन प्राप्त करके कि वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर पर्याप्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित तथा रखरखाव किया गया क्योंकि यह मामला निम्न प्रकार से डिस्क्लैमर आफ ओपिनियन पैरा में उल्लिखित हो । हम विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षण गवाह हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षण राय प्रदान करने के लिए दक्ष तथा पर्याप्त है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का समझौता प्राप्त करना, उस जोखिम मूल्यांकन को शामिल करना है, जो सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है । चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमक मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोकेबाजी या त्रुटि के कारण हो ।

निम्न पैरा के विचार पर डिस्क्लैमर में उल्लिखित होने के कारण हम पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्षी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे ताकि कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम पर लेखा परीक्षा के लिए आधार प्रदान सकें ।

वित्तीय प्रतिवेदीकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय निष्पादन उस प्रक्रिया है जिन्हें वित्तीय प्रतिवेदीकरण की संधारणीयता तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय तालिकाओं की तैयारी पर पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के लिए ढाँचाकृत किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसे नीति तथा प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जो

- (1) अभिलेख की रखरखाव से संबंधित है जो, कंपनी के संपत्तियों के कारोबारों और स्वभाव को उचित विवरण, सही तौर पर तथा निष्पक्ष प्रतिबिंबित करता है।
- (2) सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा नीतियों के साथ अनुपालन में वित्तीय तालिकाओं की तैयारी के लिए आवश्यक कारोबारों को उचित तौर पर दर्ज करने और कंपनी के प्राप्तियों व व्यय को प्रबंधन तथा कंपनी के निदेशकों के प्राधिकरण के साथ किये जाने संबंधित आश्वासन प्रदान करता है और
- (3) कंपनी के संपत्तियों का अप्राधिकृत खरीदी, उपयोग या बिक्री जिससे वित्तीय तालिकाओं पर सामग्रीय प्रभाव हो सकता है, का समय पर पहचान या रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की गलती या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखेबाजी के कारण सामग्री गलति से हो सकती है तथा इसे पता लगाया नहीं जा सकता है । इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है ।

राय के डिस्क्लेमर

हमारे राय में, कंपनी के सभी सामग्रीय पहलुओं में, वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीयनियंत्रण उपलब्ध है और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शिका टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक भागों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदीकरण मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित करके, वित्तीय प्रतिवेदीकरण के ऊपर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31, मार्च 2022 तक प्रभावी तौर पर कार्य कर रहा था। हमने प्रकृति, समय, कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं में स्टैंडअलोन के लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा टेसट के अनुसार निर्णय करते हुए उक्त डिसक्लेमर रिपोर्ट पर विचार किया है । तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं के स्टैंडर्ड लोन पर हमारे राय डिस्क्लेमर पर बाधित नहीं होता ।

कृते नारायणा अय्यर एण्ड कं
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं.002367S

स्थान : चेन्नई
तारीख : 15.12.2022

एस.स्वामीनादन
पार्टनर/एम.सं..026258
यूडीआईएन:22026258बीएफएनएमएनजी8140

सेवा में

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य

31 मार्च 2022 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा उप-निर्देशों के बारे में नीचे उत्तर दिया है ।

क्रम सं.	निर्देशों तथा उप-निर्देशों	ली गई कार्रवाई	वित्तीय विवरण का प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आई टी प्रक्रिया द्वारा सभी लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने में क्या कोई सिस्टम है ? अगर हाँ तो वित्तीय बाधाओं के साथ लेखाओं की जाँच पर आई टी सिस्टम के बाहर लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया के बाधाओं को उल्लिखित किया जाए ।	हमको दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के अनुसार, कंपनी टेली साफ्टवेयर में लेखाओं को जारी करता है । कंपनी ने अपने वाणिज्यिक प्रचालन की शुरुआत नहीं की है । सभी आय व व्यय को टेली में लेखाकृत किया है । वर्ष 2021-22 के दौरान आई टी सिस्टम के बाहर लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया नहीं किया जाता ।	लागू नहीं है ।
2.	लेनदार द्वारा कंपनी को किए गए मौजूदा ऋण या छूट/बट्टे खाते/ऋण/ब्याज आदि के पुनर्गठन कंपनी के असमर्थता या ऋण के पुन अदायगी प्रकट करता है अगर हाँ तो वित्तीय बाधाओं के बारे में उल्लिखित किया जाए ।	वर्ष 2021-22 के दौरान, हमको दिए गए स्पष्टीकरण व सूचना के अनुसार ऋण/ ब्याज/के बट्टेखाते/छूट पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है ।	लागू नहीं है ।
3.	अवधि तथा शर्तों के अनुसार, केन्द्र/राज्य एजन्सियों से क्या कोई प्राप्त/प्राप्ति निधि निर्धारित योजना हेतु प्राप्त किया है ?	वर्ष 2021-22 के दौरान, हमको दिए गए स्पष्टीकरण व सूचना के अनुसार केन्द्र/ राज्य एजन्सियों से निर्धारित प्राप्ति प्राप्त नहीं है ।	लागू नहीं है ।

कृते नारायणा अय्यर एण्ड कं
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं.002367S

स्थान : चेन्नई

तारीख : 15.12.2022

एस.स्वामीनादन

एम.सं..026258

यूडीआईएन:22026258बीएफएनएमएनजी8140

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम—सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल)

न्यायालय में निलंबित प्रकरणों का विवरण

क्रम सं.	अर्जी का नाम	प्रकरण सं और न्यायालय का नाम जिसमें प्रकरण निलंबित हो	प्रकरण कब से निलंबित रहा	प्रकरण का वर्ग/ लघु समस्या	सम्मिलित रकम (रुपयों में)	मामले की मौजूदा स्थिति
1	ओ. फेर्नान्डिस बनाम टीएनपीसीबी, यू ओ आई, टीपीटी और अन्य	डब्ल्यू पी 33528 और 34436 मद्रास उच्च न्यायालय में	2004	दि 7.9.2004 से अपनाये गये सार्वजनिक सुनवाई अप्रभावी रहा और आगे सार्वजनिक सुनवाई 19.11.2004 से 30.11.2004 तक आयोजित किया गया। जैसेकि एनईईआरआई द्वारा आयोजित ईआईए व्यापक नहीं रहा तथा सार्वजनिक सुनवाई विधि की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन में नहीं है।	शून्य	एस एस सी पी के कार्यान्वयन के विरुद्ध सभी मामले' हैं । सभी मामलो को सिंगल के रूप में सुनाया जा रहा है । इस मामले की सुनवाई दि.13.11.2017 को हुई । ए एस जी ने मौजूदा स्थिति के बारे में तथा मामले पर अनुदेश प्राप्त करने हेतु छः सप्ताह का समय मांगा । तदनुसार दि.16.3.2018 को एक शपथ पत्र फाइल किया जिसमें उल्लेख किया गया कि राष्ट्र के हित में आदम ब्रिज/रामसेतु को विनाश/बाधा किए बिना सेतुसमुंदरम जहाज चैनल परियोजना के पिछले अलैनमेंट

						पर दूसरे विकल्प के बारे में भारत सरकार ने विचार किया । माननीय न्यायालय द्वारा पेटिशन को तदनुसार निपटाया जाएगा । आगे की सुनवाई की तारीख की घोषणा की जानी है तथा अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है ।
2	ओ. फेर्नान्डिस बनाम भारत सरकार, पृथ्वी व वित्त मंत्रालय, टीपीटी, एनपीसीबी और अन्य	डब्ल्यूपी 21532 और डब्ल्यूपी एमपी सं.23473से 23475 मद्रास उच्च न्यायालय में	2005	दि 31.3.2005 के पर्यावरणीय क्लियरेन्स को मिटाना	शून्य	उपरोक्त अनुसार
3	ओ. फेर्नान्डिस बनाम यू ओ आई व अन्य	एसएलपी (सी) 19176 और एसएलपी (सी) 20758 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में	2005	ए) डब्ल्यूपी (सी) 21532/2005 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय तथा आदेश दि.30.06.2005 के प्रचालन पर स्टे बी) प्रतिवादी द्वारा अपनाये गये सेतुसमुद्रम जहाज चैनल परियोजना (एसएससीपी) के आगे की कार्यान्वयन को रोकना	शून्य	उपरोक्त अनुसार

4	श्री रामगोपालन बनाम यू ओ आई व अन्य	डब्ल्यूपी सं.18076, जोबादमेंमाननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में अंतरणप्रकरण (सी) 25 बन गया	2007	अलाइनमेंट सं.6 का अनुपालन करते हुए आदम ब्रिज को विध्वंश न करते हुए तथा आलइनमेंट 3,5 और 6 के अलावा अन्य किसी अलाइनमेंट द्वारा परियोजना को पूर्ण करने पर विचार करने निर्देश देते हुए तथा अलाइनमेंट 1, 2 या 4 का अनुपालन करते हुए परियोजना को पूर्ण करने ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार
5	डॉ सुब्रमण्यन स्वामी और यू ओ आई व अन्य	डब्ल्यूपी सं.18223, जो बाद मे माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में अंतरण प्रकरण (सी) 26 बन गया	2007	ऐतिहासिक क्षेत्र राम सेतु जिन्हें अन्यथा आदम ब्रिज बताया जाता है को बाधा न पहुँचाते हुए या विध्वंश करते हुए, अन्य वैकल्पिक रास्ता या आलइनमेंट को अनुपालन करते हुए एसएससीपी कार्यान्वयन करने के लिए, मुख्यतः 2 तथा 5वीं प्रतिवादी को निदेश देते हुए उचित रिट या किसी आदेश या रिट ऑफ मे मेन्डस जारी करें ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार
6	डॉ सुब्रमण्यन स्वामी और यू ओ आई व अन्य	डब्ल्यूपी सं.18224 बाद में यह माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय	2007	आदमब्रिज/ रामसेतु की ओरिजिन के बारे में जाँच पडताल करने के लिए तथा बाद में उसे पुराने स्मारक तथा पुरा तात्विक क्षेत्रों व	शून्य	उपरोक्त अनुसार

		में अंतरण प्रकरण (सी) 27 बन गया		बचे अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिन्ह घोषित करने हेतु प्रतिवादी 1,3, 4 को निर्देश देते हुए रिट ऑफ मेमण्डस या किसी अन्य उपयुक्त रिट या आदेश जारी करें ।		
7	दंडीस्वामी श्री विद्यानंदे भारती जी, शंकराचार्य स्वामी बनाम यू ओ आई व अन्य	माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में डब्ल्यू पी (सी) सं.413	2007	एसएससीपी को अपनाने संबंधित यू ओ ई के निर्णय को मिटाना 2.तारीख 31.03.2005 के पर्यावरणीय क्लियरेंस को मिटा देना 3.वन प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधान के अधीन एसएससीपी को प्रदान किये गये अनुमति को मिटा देना 4.एसएससीपी को कार्यान्वयन न करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देना 5.पुराने स्मारक तथा पुरा तात्विक क्षेत्रों व बचे अधिनियम 1958 के	शून्य	उपरोक्त अनुसार

				अधीन राम सेतु को राष्ट्रीय मुख्यता का पुराना स्मारक घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देश देना ।		
8	मिसजे. जयललिता बनाम यू ओ आई व अन्य	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में डब्ल्यू पी सं.15	2008	आदम ब्रिज/राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक के रूपमें घोषित करने के लिए तथा उसे अपनाने तथा संरक्षण करने के लिए, रिट ऑफ मेमण्डस की प्रकृति में 3 या 4 प्रतिवादियों को निदेश देते हुए रिट आदेश या निदेश जारी करें सेतुसमुद्रम परियोजना के निष्पादन प्रक्रिया मे उक्त आदम ब्रिज/राम सेतु को किसी भी प्रकार विध्वंश करने/क्षति पहुँचाने से 1 तथा 2 प्रतिवादी को रोकें ।	शून्य	उपरोक्त अनुसार

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड			
31.03.2022 तक के लिए तुलन पत्र			
विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
		रुपये लाखों में	रुपये लाखों में
परिसंपत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(ए) संपत्ति, प्लॉट व उपस्कर	2	4.77	4.77
(बी) पूंजी कार्य में प्रगति	3	86,825.44	86,825.44
(सी) अन्य इन्टाजिटबल परिसंपत्तियां	4	-	-
(डी) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	5	114.50	139.02
कुल [1]		86,944.71	86,969.23
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्तियां	6	789.09	790.09
(ii) नकद तथा समान नकद	7	368.47	2,320.19
(iii) ऋण	8	-	0.22
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	9.94	91.02
(बी) अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	30.57	56.51
कुल [2]		1,198.08	3,258.04
कुल ए - [1+2]		88,142.79	90,227.26
ईक्विटी तथा देयताएं			
(1) ईक्विटी			
(ए) ईक्विटी शेयर परिसंपत्तियां	11	74,500.00	74,500.00
(बी) अन्य ईक्विटी	12	7,069.25	7,079.45
कुल [1]		81,569.25	81,579.45
(2) गैर चालू देयताएं			
(ए) प्रावधान	13	6,572.00	8,572.00
(बी) अन्य गैर चालू देयताएं	14	-	19.99
कुल [2]		6,572.00	8,591.99
(3) चालू देयताएं			
(ए) अन्य चालू देयताएं	15	1.54	13.26
(बी) प्रावधान	16	-	-
(सी) चालू कर देयताएं (नेट)	17	-	42.55
कुल [3]		1.54	55.82
कुल बी - [1+2+3]		88,142.79	90,227.26
विशिष्ट लेखा नीतियां			
वित्तीय तालिकाओं पर टिप्पणी को देखें			

1 to 32

हमारे समादिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते नारायण अय्यर अण्ड कंपनी

चाटेटेड लेखाकार

ह/-

एस. स्वामीनादन

सदस्यता सं.. 026258

फर्म पंजीकृत सं.. 002367S

UDIN No.22026258BFNMNG8140

ह/-

श्री डी रमण मूर्ते

महा प्रबंधक (एफ)

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 15.12.2022

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

ह/-

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

ह/-

कप्तान एस. दिवाकर

निदेशक

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड				
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा का विवरण				
विवरण		टिप्पणी सं.	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
			रुपये लाखों में	रुपये लाखों में
I	प्रचालन से राजस्व	18	-	-
II	अन्य आय		64.63	178.53
III	परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान पर कुल लाभ		-	-
IV	वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण पर कुल लाभ		-	-
V	कुल आय (ए)		64.63	178.53
VI	खर्च :			
	कर्मचारी लाभ व्यय	19	23.98	24.58
	वित्त लागत		-	-
	मूल्यहास तथा व्यय में कमि	2	-	0.01
	अन्य व्यय		-	-
	परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान पर कुल हानि		-	-
	वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण पर कुल हानि		-	-
	अन्य व्यय	20	50.87	30.87
	कुल व्यय (बी)		74.85	55.46
	पूर्व अवाधे समायोजन के पहले लाभ [ए-बी]		(10.22)	123.07
	पूर्व अवाधे समायोजन		-	-
VII	असाधारण आइटम तथा कर के पहले लाभ		(10.22)	123.07
VIII	असाधारण आइटम		-	-
IX	कर के पूर्व लाभ		(10.22)	123.07
X	कर व्यय :			
	(1) चालू कर	21	-	42.55
	(2) आस्थागित कर		-	-
XI	प्रचालनों को जारी करने से अवाधे के लिए लाभ/(हानि)		(10.22)	80.52
XII	प्रचालनों को रोकने से अवाधे के लिए लाभ/(हानि)		-	-
XIII	प्रचालनों को रोकने से कर व्यय		-	-
XIV	प्रचालनों को रोकने से लाभ/(हानि) (कर के बाद)		-	-
XV	(XI + XIV) अवाधे के लिए लाभ/(हानि)		(10.22)	80.52
XVI	अन्य संकलित आय		-	-
XVII	(XV + XVI) अवाधे के लिए कुल संकलित आय		(10.22)	80.52
XVIII	ईक्विटी शेयर्स प्रति उपाजन (प्रचालन जारी करने के लिए)			
	(1) मूल		(0.00)	0.01
	(2) डाइल्यूटेड		(0.00)	0.01
XIX	ईक्विटी शेयर्स प्रति उपाजन (प्रचालन रोकने के लिए)			
	(1) मूल		-	-
	(2) डाइल्यूटेड		-	-
	ईक्विटी शेयर्स प्रति उपाजन (प्रचालन रोकने के लिए व प्रचालन जारी करने के लिए)			
	(1) मूल		(0.00)	0.01
	(2) डाइल्यूटेड		(0.00)	0.01

विशिष्ट लेखा नीतियों

वित्तीय तालिकाओं पर टिप्पणी को देखें

1 से 32

हमारे समर्पित प्रतिक्रिया के अनुसार
कृते नारायण अय्यर अण्ड कंपनी
चाट्टेड लेखाकार

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

ह/-

एस. स्वामीनादन
सदस्यता सं.. 026258
फर्म पंजीकृत सं.. 002367S
UDIN No.22026258BFNMNG8140

ह/-

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

ह/-

श्री डी रमण मूर्ति
महा प्रबंधक (एफ)

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 15.12.2022

ह/-

कप्तान एस. दिवाकर
निदेशक

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड लागू भा.ले.मा टिप्पणी

1. कार्पोरेट सूचना

सेतुसमुद्रम जहाज चैनल परियोजना (एसएससीपी) ने, भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट व अन्य देशों के बीच के दूर तथा यात्रा समय में कमी दर्शाया तथा भारत के टेरिटोरियल वॉटर के अंदर नौचालन की सुधार हो। इस चैनल की स्थापना की नजर में भारत सरकार ने दि.2 सितंबर 2004 को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड को आयोजित किया तथा जिसे 6 दिसंबर 2004 को अपनी रजिस्टर्ड कार्यालय भारतीय मारीटाइम विश्वविद्यालय, उतंडी, चेन्नै में तथा कार्पोरेट कार्यालय एंकर गेट भवन, राजाजी सालै, चेन्नै में कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया था ।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति का संक्षेप

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणिका सभी भौतिक पहलू में, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 तथा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (भा ले मा) का अनुपालन करता है ।

वित्तीय विवरणिकाएँ लेखाकरण के प्रोद्भूत आधार के तहत ऐतिहासिक आधार पर तैयार किया गया है ।

दि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक वित्तीय विवरणिकाएँ कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम 2006 (संशोधित) तथा अनय संबंधित प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक के अनुसार तैयार किए गए ।

15 दिसंबर 2022 को कंपनी के बोर्ड के निदेशकों द्वारा जारी हेतु वित्तीय विवरणिकाएँ प्राधिकृत किया गया ।

वित्तीय विवरणिकाएँ में अंको को रूपए लाखों के नजदीक राउंडआफ किया गया है ।

2. लेखाकरण का आधार

चालू विचार के रूप में प्रोद्भूत आधार पर बुकों का अनुरक्षित किया गया । वित्तीय विवरणिकाएँ में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लेखाकरण नीतियों को लागू किया जाता है ।

3. वस्तुसूची का मूल्यांकन

भा.ले.म 2 लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के कोई वस्तुसूची नहीं है ।

4. नकदी प्रवाह की विवरणिका

अप्रवाही प्रणाली के अनुसार नकदी प्रवाह तैयार किया गया तथा भा.ले.मा 7 अनुपालित किया गया ।

5. लेखाकरण नीति, लेखाकरण प्राक्कलन में परिवर्तन और मूलचूक

भा.ले.मा 8 लागू है तथा वि.व 2021-22 के लिए प्राक्कलन में कोई परिवर्तन नहीं है ।

वित्तीय विवरणिकाएँ को कंपनी में उपलब्ध मानकों के आधार पर धरणाओं और अनुमानों पर के आधार पर तैयार किया जाता है । मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणा, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती है । ऐसे परिवर्तन होने पर धारणाओं में ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं ।

6. रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटना

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं, उन घटनाओं के अनुकूल और प्रतिकूल हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत और वित्तीय विवरणों को अनुमोदन की तारीख के बीच होती हैं।

घटना की प्रकृति और उसके वित्तीय प्रभाव को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में इसको प्रस्तुत किया गया है।

7. आय पर कर

चालू तथा पूर्वावधि के लिए चालू कर, गैर भुगतान की राशि तक, देयता के रूप में माना गया है। अगर पहले ही अदा की गई राशि, चालू तथा पूर्वावधि के लिए देय राशि से अधिक हो जाता है तो अधिकता को परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

कंपनी ने वर्ष के लिए प्राक्कलित ब्याज आय पर आयकर प्रदान किया है। चूंकि कंपनी आयकर अधिनियम के कर हॉलिडे के यू/एस 80-आईए के हकदार है, इसलिए भविष्य में कर देनदारों के विरुद्ध पहले से भुगतान किए गए करों को समायोजित करने की कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए, लेखा में स्थगित कर संपत्ति/देयता को मान्यता नहीं मिली है।

8. संपत्ति, यंत्र तथा उपकरण

भालेमा के संक्रमण पर, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्तियों, यंत्रों और उपकरणों के वाहक मूल्य के साथ पर चुने गए हैं और इस तरह की संपत्ति, यंत्र और उपकरणों की समेकित लागत को वाहक मूल्य के रूप में उपयोग करते हैं।

ऐतिहासिक लागत मूल्यहास घटाकर संपत्ति, यंत्र और उपकरण कहा जाता है। पूंजीगत कार्य प्रगति पर बताया गया है। अधिग्रहण और परिसंपत्तियों की स्थापना से संबंधित सभी लागत पूंजीकृत हैं। किसी भी व्यापार छूट और छूट लागत पर पहुंचने पर कटौती की जाती है। संपत्ति, यंत्र और उपकरण की नेट वाहक मूल्य राशि को निश्चित संपत्ति या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि की लागत, जो इसके अवशिष्ट मूल्य से कम है।

संपत्ति, यंत्र और उपकरणों की किसी भी वस्तु को प्रारंभिक रूप से किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से के निपटान पर, पहचान लिया गया है। परिसंपत्ति की पहचान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (नेट निपटान कार्रवाई और परिसंपत्ति के राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) संपत्ति को पहचानने पर लाभ या हानि के विवरणिका में शामिल किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 को अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों पर संपत्ति के आधार पर संपत्ति के अवधि पर मूल्यहास शुल्क लिया जाता है। निर्धारित परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिस पर एक परिसंपत्ति किसी इकाई द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होने की सम्भावना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित संपत्तियों के अवशिष्ट जीवन को अपनाया है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधि और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और विनियमित होने पर समायोजित किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन और परिणामी सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर्युक्त के अनुसार उपयोगी जीवन का अनुमान सर्वोत्तम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन इन संपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है।

वर्ष के दौरान जोड़ा गया/निपटान किए संपत्ति, यंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास अधिग्रहण/निपटान की तारीख के संबंध में प्रो-रेटा आधार पर प्रदान किया जाता है।

9. परिसंपत्ति का हानि

परिसंपत्ति का हानि पर भा.ले.म 36 को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है सर्वोच्च न्यायालय में परिचोजना पर निर्णय लंबित है।

10. राजस्व मान्यता

कंपनी ने आज तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। लाभ और हानि के विवरणिका में दिखाए गए अन्य आय में बैंकों में अप्रयुक्त धन की अल्पकालिक जमा से अर्जित अंतर शामिल है। इस आय से सभी व्यय पूरा किए जाते हैं और अधिशेष व आरक्षण और अधिशेष में स्थानांतरित किया जाता है। ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

11. विदेशी मुद्रा परिवर्तन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन विदेशी मुद्रा में नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा.21 में लागू नहीं है।

12. निवेश

कंपनी द्वारा भा.ले.मा.32, भा.ले.मा.107 और भा.ले.मा. 109 के तहत निर्धारित कोई नहीं किया गया तथा इसलिए लागू नहीं है।

13. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा कार्पोरेशन, अधिवर्षिता निधि तथा उपदान निधि हेतु कंपनी को कोई बाध्यता नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा. 19 का प्रावधान लागू नहीं है।

14. उधार लेने की लागत

कंपनी को कोई उधार नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा. 23 लागू नहीं है।

15. संबंधित पार्टि प्रकटीकरण

संबंधित पार्टि प्रकटीकरण पर भा.ले.मा. 24 के आधार पर संबंधित पार्टि लेनदेन पर सूचना का संकलन किया गया।

16. पट्टे

कंपनी द्वारा कोई पट्टे करार हस्ताक्षरित नहीं किया गया तथा इसलिए भा.ले.मा. 17 लागू नहीं है।

17. निवेश परिसंपत्ति

कंपनी के कोई निवेश परिसंपत्ति नहीं है तथा इसलिए भा.ले.मा.40 लागू नहीं है।

18. वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताएँ

अपने वित्तीय परिसंपत्ति तथा देयता को कंपनी द्वारा पहचाना गया तथा वर्गीकृत किया गया तथा वित्तीय इनस्ट्रुमेंट — एन एस 32, ए एस 107 तथा आई एन डी ए एस 109 के तहत उल्लिखित अनुसार सही मूल्य पर लेखाकृत किया गया था।

19. इंटेजबल परिसंपत्ति

असमानता अगर कोई हो तो इंटेजबल परिसंपत्तियों को कम लागत में मूल्यांकित किया जाता है तथा ये उपलब्ध होने की तारीख से लेकर स्ट्रेइट लाइन बेसिस पर संबंधित प्रयोगी लाइनस पर कम हो जाता है।

अमूर्त संपत्ति को पहचानने पर लाभ या हानि के विवरण में अमूर्त संपत्ति (नेट निपटान आय और परिसंपत्ति को लाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) की पहचान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शामिल किया जाता है।

20. प्रावधान, कंटीजेंट देयताएँ तथा कंटीजेंट परिसंपत्तियाँ

पिछले इवेंट के कारण जब कंपनी को मौजूदा आबलिंगेशन (कानून या निर्मात्मक) हो तो प्रावधानों का पहचान किया जाता है। यह संभाव्य होता है कि आबलिंगेशन को सेटल करने हेतु आर्थिक सुविधाओं के औटफ्लो की जरूरत होती है तथा आबलिंगेशन की वास्तविक राशि से प्राक्कलन किया जा सकता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा आबलिंगेशन को सेटल करने हेतु विचार के अच्छे प्राक्कलन की आवश्यकता होती है तो रोशि को प्रावधान के रूप में मान्य किया जाता है।

किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ या हानि के विवरण, किसी भी प्रतिपूर्ति के नेट को प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में कानूनी और अन्य दावों को शामिल करने पर संगत देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं, उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं को तभी हल किया जाएगा जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं होती हैं या विफल होने लगती हैं। अस्तित्व और संभावित क्वांटम का मूल्यांकन, अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण निर्णय का अभ्यास और भविष्य की घटनाओं के नतीजे के अनुमानों के उपयोग में शामिल है।

21. प्रति शेयर में उपार्जन

वर्ष 2022-23 के लिए कार्य के लिए आई एन डी ए एस 33 लागू होता है।

22. नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकदी और नकद समकक्षों में बैंक और हाथ और अल्पकालिक जमा पर नकद शामिल है।

चालू निवेशों को राष्ट्रीय बैंकों के साथ स्थाई जमा में किया जाता है जहाँ लागत और रिलाइएजेबल मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा।

23. इंटरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

भा.ले.मा. 33 लागू नहीं है।

वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी

टिप्पणी सं.

- 2 गैर चालू पॉरेसपातियां संपाते, प्लेट व सामग्री राशि लेने में समाधान ले जाने की राशि का सामंजस्य

	कम्प्यूटर व उपकरण	फर्निचर व फिक्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
लागत या डीमंड कास्ट (ग्रास लेने की राशि)					
01.04.2020 को शेष	1,342,763.00	4,348,387.00	510,550.00	3,369,048.00	9,570,748.00
जोड़	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सेज		-	-	-	-
31.03.2021 को शेष	1,342,763.00	4,348,387.00	510,550.00	3,369,048.00	9,570,748.00
01.04.2021 को शेष	1,342,763.00	4,348,387.00	510,550.00	3,369,047.74	9,570,747.74
जोड़	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सेज		-	-	-	-
31.03.2022 को शेष	1,342,763.00	4,348,387.00	510,550.00	3,369,047.74	9,570,747.74
संचित मूल्यह्रास और हानि					
01.04.2020 को शेष	1,275,622.00	4,130,968.00	485,022.00	3,199,289.00	9,090,901.00
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	-	-	1,304.00	1,304.00
असमानित हानि	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सेज		-	-	-	-
31.03.2021 को शेष	1,275,622.00	4,130,968.00	485,022.00	3,200,593.00	9,092,205.00
31.03.2021 को शेष					9,092,205.00
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
असमानित हानि	-	-	-	-	2,000.00
निपटान	-	-	-	-	-
विदेशी प्रचालन के अनुवाद पर विभिन्नता का एक्सेज		-	-	-	-
31.03.2022 को शेष	-	-	-	-	9,094,205.00
31.03.2021 तक	67,141.00	217,419.00	25,528.00	168,455.00	478,543.00
31.03.2022 तक	1,342,763.00	4,348,387.00	510,550.00	3,369,047.74	476,542.74

- (i) संपत्ति, प्लांट और इक्विपमेंट का हिसाब ऐतिहासिक लागत पर लगाया जाता है और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और स्थापना से संबंधित सभी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है।
- (ii) प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की कुल वहन राशि निश्चित परिसंपत्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि है, इसका अवशिष्ट मूल्य कम है।
- (iii) फिक्स्ड एसेट का उपयोगी जीवन वह अवधि है, जिस पर किसी एसेट द्वारा किसी संपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है। कंपनी ने शेड्यूल II के भाग C में कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट अचल संपत्तियों के अवशिष्ट जीवन को अपनाया है।
- (iv) मूल्यहास विधि और उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि इसे समायोजित किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन और परिणामी सलाह पर आधारित, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन के अपने अनुमान उस अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस अवधि में प्रबंधन विशेषज्ञ इन परिसंपत्तियों का उपयोग करते हैं।
- (v) ऋणात्मक शेष पहले के वर्षों के अधिक मूल्यहास को दर्शाता है।

3 पूंजी कार्य प्रगति में

कैपिटल ड्रेजिंग
तटीय समुदाय विकास कार्यक्रम
नेविगेशन एंड
तट आधारित प्रावधान
वीटीएम एस सिस्टम
सर्वे स्टडी व अन्य व्यय

31.03.2022 तक

31.03.2021 तक

84,096.34	84,096.34
517.94	517.94
226.69	226.69
160.76	160.75
12.01	12.01
1,811.71	1,811.71
86,825.44	86,825.44

शेष राशि 31 मार्च तक

86,825

86,825

विभिन्न मुकदमों के कारण 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर पूंजी ड्रेजिंग कार्य को निलंबित कर दिया गया था। पूंजी ड्राब्यूआईपी पर होने वाले खर्च शामिल हैं। ए.कैपिटल ड्रेजिंग, नेविगेशनल एंड, वीटीएमएस सिस्टम, घाट आधारित नागरिक कार्य सी. तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात् मछली पकड़ने के बंदरगाह का विकास, डी. सर्वेक्षण और अध्ययन और अन्य सेवाओं, उनके साथ दर्ज किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से किसी भी राशि की वसूली को समायोजित करने के बाद दि. 17.9.07 से लागू माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय की दिशा में एडम्स ब्रिज के संबंध में ड्रेजिंग कार्य को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। कार्य की सिफारिश और पूर्णता माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर हो सकती है।

सीड्राब्यूआईपी एजिंग शेड्यूल	1-2 वर्षों	2-3 वर्षों	>3 वर्ष	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर				
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया			86825.44	86825.44

4 अन्य इंटैजबल परिसंपत्तियाँ

	मूल्यांकित मूल्यहास			निबल लेने की राशि	
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
इंटैजबल परिसंपत्तियाँ					
1. साफ्टवेयर	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
कुल	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00

साफ्टवेयर के संबंध में, मूल्यहास पूरी तरह से 3 साल की अनुमानित जीवन अवधि में एसएलएम आधार पर पिछले वर्षों में दावा किया गया था

5 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

संबंधित पार्टियों को पेशगी

गैर सुरक्षित अच्छा माल

फुटकर प्राप्ति

आयकर वापसी

फुटकर समायोजन

सुरक्षित अच्छा माल

किराया, बिजली आदि के लिए सुरक्षा जमा

पूँजी अग्रिम

गैर सुरक्षित अच्छा माल

पाक स्टैंड में ड्रेजिंग के लिए डी सी आई का अग्रिम भुगतान *

कुल

	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
फुटकर प्राप्ति	-	-
आयकर वापसी	-	-
फुटकर समायोजन	75.08	102.89
सुरक्षित अच्छा माल	39.41	36.13
किराया, बिजली आदि के लिए सुरक्षा जमा		
पूँजी अग्रिम		
गैर सुरक्षित अच्छा माल		
पाक स्टैंड में ड्रेजिंग के लिए डी सी आई का अग्रिम भुगतान *	-	-
कुल	114.50	139.02

लंबे समय तक कोर्ट में रहने के कारण डीसीआई ने 27.07.2009 को सभी ड्रेजर को वापस ले लिया। हालांकि, डीसीआई ने किए गए ड्रेजिंग कार्य के लिए अतिरिक्त लागत का दावा किया। इस संबंध में, कई समितियों का गठन किया गया था। अंत में, पो प मं. ने एस & एफए, पो प मं., जेएस (पी) और डी ए (पी) के साथ एक समिति बनाई गई। इस समिति की 25.02.2019 को एक बैठक हुई थी रु.136.72 करोड़ राशि को कंपनी द्वारा डीसीआई को दी जाने वाली राशि को अंतिम रूप दिया गया था। रु.71.00 करोड़ का भुगतान कंपनी के उपलब्ध फंडों से किया गया था और कंपनी ने पो प मं., भारत सरकार से 115.72 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया है, इसलिए डीसीआई को अग्रिम भुगतान को पूंजीगत कार्य के तहत प्रगति के रूप में लेखांकन किया गया है क्योंकि राशि पर अंतिम निपटान पर आ गया है।

- 6 चालू परिसंपत्तियाँ
व्यापार प्राप्ति : लांचस का सैल, चैनल बोयस तथा पट्टे प्राभारों को
संबंधित पार्टियों से प्राप्ति
चैनल पोटे ट्रस्ट
एण्णूर पोटे लोमेटेड
तूत्तूकोरेन पोटे ट्रस्ट
व्यापार प्राप्ति :
काडला पोटे ट्रस्ट
मूरगाव पोटे ट्रस्ट
मुंबई पोटे ट्रस्ट
नव मंगलूर पोटे ट्रस्ट

	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	-	-
	-	1.00
	131.62	131.62
	3.58	3.58
	643.64	643.64
	8.31	8.31
	1.95	1.95
	789.09	790.09

व्यापार प्राप्ति में, लांचस तथा चैनल बोया की बिक्री/पट्टे हेतु विभिन्न पोर्टों से देयता शामिल है। व्यापार प्राप्ति में लांचस और बोया के बिक्री/पट्टे पर विभिन्न पोर्टों से देयता शामिल है। व्यापार प्राप्ति में कुछ खास अपृष्टिकृत शेष भी शामिल है जो प्रबंध के विचार में अपने मूल्य भुनाएगा, लेखा में बताए अनुसार, व्यापार के सामान्य प्रवृत्ति में है। व्यापार प्राप्ति में देयराशि, व्यापार के सामान्य प्रवृत्ति में नहीं है।

फुटकर देनदार के संबंध में, संबंधित पार्टियों के व्यक्तिगत गारंटी के अलावा अन्य कोई सुरक्षा नहीं है।

लांचस के बिक्री/पट्टे के संबंध में महा पत्तनों के साथ विस्तृत निबंध व शर्तें पर अंतिम निर्णय को निलंबित रखकर, ब्याज अगर कुछ हो तो महा पत्तनों द्वारा विलंब की राशि हेतु प्राप्ति को, भ ले मा 115 के अनुरूप बुकों में लेखाकृत किया गया।

विवरण	31 मार्च 2022 तक भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	< 6 महीने	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्ति - अच्छा माना जाता है		-	-	-	-	-
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्ति - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	789.09	789.09
(iii) विवादित व्यापार प्राप्ति - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्ति - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
विवरण	31 मार्च 2021 को भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	< 6 महीने	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्ति - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्ति - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	789.09	789.09
(iii) विवादित व्यापार प्राप्ति - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्ति - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-

7 नकद व समान नकद

ए) बैंकों के साथ शेष

इंडियन बैंक खाता सं. 422161367

इंडियन बैंक खाता सं. 802770387

इंडियन बैंक खाता सं. 6469440457

बैंकों के साथ कम अवांछित जमा

(बी) हाथ में नकद

कुल

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
-	-
-	-
18.31	13.97
350.01	2,306.08
0.15	0.15
368.47	2,320.19

(i) लघु-अवधि जमा के लिए बैंकों से प्राप्त शेष की पुष्टिकरण

(ii) चूंकि मौजूदा निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, इसलिए लागत और वसूली योग्य मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

8 ऋण

(i) (ए) सर्वाधिकृत पार्टियों से सर्वाधिकृत ऋण तथा आग्रेम

(बी) अन्य- सुरक्षित, कमचारेयों को अच्छा माल आग्रेम

कुल

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
-	-
0.00	0.22
0.00	0.22

(ii) निदेशक/अधिकारियों से देय सहित ऋण तथा आग्रेम निम्न प्रकार से :
समाप्त वर्ष पर देय
वित्त वर्ष के दौरान कुछ समय में न्यूनतम राशि देय

(nil) (nil)
(nil) (nil)

9 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ : ब्याज

कम अवांछित जमा पर प्रोदभूत ब्याज

बैंकों से ब्याज देय

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
9.94	91.02
0.00	0.00
9.94	91.02

10 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

आग्रेम कर व टो डी एस

प्रोपेइड व्यय व अन्य व्यय

कुल

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
17.27	40.42
13.30	16.10
30.57	56.51

11 ए. प्राधिकृत, जारी किए गए, सब्सक्राइबड तथा पैड अप कैपिटल

प्राधिकृत

1,00,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु.10/-

(पिछले वर्ष 1,00,00,00,000 ईक्विटी शेयर्स प्रत्येक रु.10/-

जारी किए गए सब्सक्राइबड तथा पैड-अप :

रु.74,50,00,000 इक्विटी शेयर। 10/- प्रत्येक का पूर्ण भुगतान

(पिछले वर्ष इक्विटी शेयर्स प्रत्येक रु.10/-)

कुल

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
100,000.00	100,000.00
74,500.00	74,500.00
74,500.00	74,500.00

1000 करोड़ का प्राधिकृत पूँजी में से, रु.745 करोड़ अंशदान किया गया तथा परियोजना के लिए चिन्हित विभिन्न स्टैकहोल्डरों द्वारा अदा किया गया। भारत सरकार द्वारा अंशदान रु.495 करोड़ है। वी ओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट तथा शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया का अंशदान, प्रत्येक रु.50 करोड़ है। शेष 150 करोड़ को ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, एण्णूर पोर्ट लिमिटेड, विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट तथा पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक रु.30 करोड़ अंशदान है।

बी. वर्ष क आरम्भ आर अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समायोजन

	2021-2022	2020-2021
	संख्या	संख्या
वर्ष के आरम्भ में बकाया इक्विटी शेयर	745,000,000	745,000,000
जोड़ : वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान पुनः खरीदों/रीडोमड किए गए इक्विटी शेयर	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	745,000,000	745,000,000

सी. रिपोर्टिंग दिनांक को कंपनियों के 5% शेयर्स से ज्यादा प्राप्त योवरहोल्डरों का विवरण

शेयरहोल्डरों का नाम	शेयर का वर्ग	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
		धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशता का धारण	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशता का धारण
भारत सरकार	ईक्विटी	495,000,000	66.43	495,000,000	66.43
वी.ओ. चितम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट	ईक्विटी	50,000,000	6.71	50,000,000	6.71
शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया	ईक्विटी	50,000,000	6.71	50,000,000	6.71
अन्य	ईक्विटी	150,000,000	20.15	150,000,000	20.15
ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया					
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट					
एण्णूर पोर्ट लिमिटेड					
विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट					
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट					
कुल		745,000,000	100.00	745,000,000	100.00

डी. तारीख को कंपनी के शेयरधारकों का विवरण

शेयरहोल्डर्स का नाम	शेयर का वर्ग	आज की तारीख		वर्ष के दौरान परिवर्तन % में
		धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	
भारत सरकार	ईक्विटी	495,000,000	66.43	0.00%
वी.ओ. चितम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट	ईक्विटी	50,000,000	6.71	0.00%
शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया	ईक्विटी	50,000,000	6.71	0.00%
अन्य	ईक्विटी	150,000,000	20.15	0.00%
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया				
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट				
एण्णूर पोर्ट लिमिटेड				
विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट				
पाराद्विप पोर्ट ट्रस्ट				
कुल		745,000,000	100.00	

12 अन्य ड्राफ्ट्स

अन्य राजस्व

1. पूंजी राजस्व

- पिछले तुलन पत्र के अनुसार
- जोड़/(घटाएँ)

कुल

2. बनाए रखे उपाजन

- 31.03.2021 तक
- अवधि के लिए जोड़/(घटाएँ)
- पूर्व वर्षों की अतिरिक्त मूल्यह्रास
- अन्य व्यापक आय, कर का निबल
- पूर्व वर्षों की अतिरिक्त मूल्यह्रास
- 31.03.2022 तक

कुल (1+2)

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
1,499.60	1,499.59
-	-
1,499.60	1,499.59
5,579.87	5,499.35
(10.22)	80.52
-	-
-	-
5,569.65	5,579.87
7,069.25	7,079.45

अब तक कंपनी द्वारा वाणिज्य प्रचलन चालू नहीं हुआ। लाभ और हानि खाता में दर्शाया गया अन्य आय में बैंकों में गैर उपयोगित निधि के लघु अवधि जमा से अर्जित ब्याज भी शामिल है। इन आय में से सभी व्यय का वहन किया जाता है तथा आरक्षण एवं अधिशेष को अधिशेष स्थानांतरित किया जाता है।

13 प्रावधान

कॉर्पोरेट ड्रेजिंग के लिए प्रावधान

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
6572.00	8572.00
6,572.00	8,572.00

14 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
(ए) अन्य पार्टियों से जमा	0.00	19.99
कुल	0.00	19.99

15 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ
लेखापरीक्षा शुल्क का भुगतान
व्यय का भुगतान
इयूटीएस व कर का भुगतान
किराया भुगतान
कुल

	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लेखापरीक्षा शुल्क का भुगतान	1.00	1.00
व्यय का भुगतान	0.54	8.29
इयूटीएस व कर का भुगतान	0.00	0.02
किराया भुगतान	0.00	3.95
कुल	1.54	13.26

(ii) देय शुल्क और कर में टी एन वी ए टी और टी डी एस भुगतान शामिल है।

ट्रेड पेएबल्स एजिंग शेड्यूल					
Particulars	31 मार्च 2022 तक भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	कुल
(i) एमाएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	1.54	-	-	-	1.54
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
Particulars	31 मार्च 2021 को भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	> 3 वर्ष	कुल
(i) एमाएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	13.26	-	-	-	13.26
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-

16 Provisions

(i) सीसीडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रावधान
कुल

	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
(i) सीसीडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रावधान	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

17 चाल कर देयताएँ (निबल)

आय कर हेतु प्रावधान

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
0.00	42.55
0.00	42.55

18 अन्य आय
लघु आवोध जमा पर ब्याज
विधायक आय
कुल

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
64.61	177.78
0.02	0.76
64.63	178.53

19 कर्मचारी लाभ व्यय

छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान
वेतन व भत्ते - ठेके कर्मचारी
वेतन व भत्ते - प्रतिनियुक्ति व अन्य
स्टाफ कल्याण व्यय
कुल

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
0.00	0.00
20.27	18.35
3.71	6.17
0.00	0.06
23.98	24.58

वर्ष के दौरान, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को अदा किया गया प्रबंधकीय वेतन शून्य है।

20 अन्य व्यय

प्रशासनिक व्यय
जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को राइट ऑफ कर दिया गया है
बुरा ऋण लिखा गया
किराया
कानूनी व पेशेवर प्रभारों
मरम्मत व अनुरक्षण
यात्रा और संवहन
कुल
(किराया रु. 42.23 लाख में रु. 19.91 लाख का जुर्माना शामिल है)

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
2.03	5.79
4.64	0.00
1.00	0.00
40.68	21.20
1.97	1.73
0.56	0.96
0.00	1.20
50.87	30.87

21 कर व्यय

चालू कर
डेफ़ेड कर
कुल

31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
0.00	42.55
-	-
0.00	42.55

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी को घाटा हो रहा है और इसलिए, कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/आस्थगित कर देयताएं उत्पन्न नहीं होती हैं।

22 लाभ व हानि लेख में अधिशेष

कंपनी निर्माण की स्थिति में सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना को कार्यान्वित करते हुए याणिज्यिक प्रचालन को प्रारंभ नहीं करता। फिर भी लाभ व हानि विवरणिका में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची III के भाग II के अनुसार आवश्यक विवरण होता है तथा तुलन पत्र में अन्य ईकिवटी अलग से निबल अधिशेष प्रदर्शित किया गया है।

23 आकांक्षिक देयताएं

विवरण	31.03.2021 तक
कंपनी के विरुद्ध मांग/ऋण के रूप में डिस्पूट देयताएँ पावती नहीं होता	
ए. वी ओ सी पोर्ट द्वारा मांगे गए सेंटेज चार्ज	785.00
बी. मीटिंग व्यय के लिए हिस्सा के लिए	0.83

24 आई एन डी एस 24 द्वारा अपेक्षित को संबंधित पार्टी प्रकट करना।

ए) संबंधित पार्टियों के संपर्क तथा नाम का विवरण

i) की मैनेजमेंट पर्सनल

ii) शेयरहोल्डर्स

संचालन की प्रकृति	शेयरहोल्डर्स
	(पिछले वर्ष के ऑकड़े ब्राकेट में दिखाया गया है।)
निदेशक को अतिरिक्त प्रभार भुगतान	
किराया भुगतान (including penalty)	40.68 (21.20)
व्यापार प्रतियोगिता	131.62 (132.62)
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	39.41 (36.08)

वर्ष के दौरान प्रबंधकीय भुगतान किया जाता है शून्य

25 व्यापार प्रतियोगिता, जमा, फुटकर समायोजन, फुटकर प्रतियोगिता तथा पंजी अग्रिम पुष्टिकरण तथा समायोजन के अधीन है।

26 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के भाग II के प्रावधानों के अनुरूप अतिरिक्त सूचना है।

(i) वर्ष के दौरान आयत के सी आई एफ मूल्य

(ii) रायल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्शक आदि के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय

(iii) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया आयत पुर्जें एवं कॉपोनेंटस का मूल्य

(iv) लाभान्श के लेखा पर वर्ष के दौरान विदेशी विनियम में समायोजित राशि।

(v) विदेशी मुद्रा में अर्जन

(शून्य)

(शून्य)

(शून्य)

(शून्य)

(शून्य)

- 27 मइक्रो, छोटा एवं माध्यमिक एंटरप्राइस विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार अनुसार मैक्रो, छोटे तथा माध्यमिक एंटरप्राइस को आज तक कंपनी द्वारा कोई राशि देय नहीं है।
- 28 (i) आंकड़े को लाख में निकटतम रूप में राउंड आफ कर दिया गया है।
(ii) इस साल के वर्गीकरण को पृष्ठ करने के लिए, जहाँ भी अपेक्षित हो पिछले साल के आँखड़े को रीग्रुप किया गया।
- 29 प्रति शेयर अर्जन
प्रति शेयर अर्जन का परिकलन शेयरहोल्डरों को देय लाभ को बकाया शेयर ईक्विटी की संख्या से विभाजित किया गया। प्रति शेयर अर्जन निम्नलिखित अनुसार परिकलित किया जाता है।

	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
कर के बाद लाभ / (हानि) - रु. लाख में	(10.22)	80.52
ईक्विटी शेयरर्स की संख्या	7,450.00	7,450.00
फस मूल्य प्रति शेयर	10.00	10.00
उपार्जन प्रति शेयर (ई पी एस)	(0.00)	0.01

30	अनुसूची III में नवीनतम संशोधन के अनुसार अनुपात नीचे दिए गए हैं:					
					वि व -2021-2022	वि व -2020-2021
	(1) वर्तमान अनुपात				776.51	58.37
	कूल वर्तमान संपत्ति / वर्तमान देनदारियाँ					
	(2) शुद्ध ऋण ईक्विटी अनुपात				NA	NA
	(शुद्ध ऋण/औसत ईक्विटी)					
	(3) ऋण सेवा कवरेज अनुपात				NA	NA
	(ईबीआईटी/वित्त लागत + गैर-वर्तमान उधारों का अनुसूचित मूलधन पुनर्भुगतान)					
	(4) रिटर्न ऑन ईक्विटी (%)				-0.01%	0.10%
	(कर पश्चात लाभ (पीएटी)/औसत ईक्विटी)					
	(5) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (दिनों में)				NA	NA
	(औसत इन्वेंटरी/दिनों में उत्पादों की बिक्री)					
	(6) देनदार कारोबार अनुपात (दिनों में)				NA	NA
	(औसत व्यापार प्राप्त्य/दिनों में कारोबार)					
	(7) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (दिनों में)				NA	NA
	(औसत व्यापार देय/व्यय)					
	(8) नेट कैपिटल टर्नओवर अनुपात (दिनों में)				NA	NA
	(औसत कार्यशील पूंजी/कारोबार)					
	(9) शुद्ध लाभ अनुपात (%)				NA	NA
	(टेक्स/टर्नओवर के बाद शुद्ध लाभ)					
	(10) नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)				-0.01%	0.14%
	(ईबीआईटी/औसत पूंजी नियोजित)					
	(11) निवेश पर प्रतिफल (%)				NA	NA
	(बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)/म्युचुअल फंड के उचित मूल्य परिवर्तन/वर्तमान निवेश में औसत निवेश फंड)					

- 31 कंपनी ने 2004 से अपनी स्थापना के बाद से आज तक वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया है। विभिन्न मुकदमों के कारण 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कैपिटल ड्रैजिंग कार्य को निलंबित कर दिया गया था। कंपनी ने वर्ष 2009 और उसके बाद से परिचालन गतिविधियों की समाप्ति के कारण टग, नेविगेशनल एड्स, लॉन्च, बॉय जैसी विभिन्न परिचालन संपत्तियां भी बेची हैं। राज्य मंत्री के निर्देशानुसार दिनांक 18.06.2019 के पत्र द्वारा, एससीएल ने अपनी 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2019 में कानूनी राय प्राप्त करने के बाद कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को पौ प म को भेजने के लिए स्वीकृति प्रदान किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 13.12.2019 को राय दी है कि निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 272 द्वारा अन्य शर्तों के अधीन समाप्त किया जा सकता है। दिनांक 29.04.2021 को सेतुसमुद्रम निगम के बंद होने पर माननीय पीएसडब्ल्यू राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीसीआई को बकाया भुगतान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। पीएसडब्ल्यू मंत्रालय ने दिनांक 24.06.2021 के संचार के अनुसार डीसीआई के कारण शेष राशि के संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध किया है और 6 महीने के भीतर एससीएल को बंद करने के लिए गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समयरेखा तैयार करने का अनुरोध किया है। आगे की कार्रवाई करने के संबंध में कंपनी प्रक्रिया में है।
- 32 कंपनी को अभी तक कंपनी के बोर्ड में कंपनी सचिव होने के नाते एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है।

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते नारायना अय्यर अण्ड कंपनी चार्टर्ड लेखाकार

Sd/-
एस. स्वामीनादन
सदस्यता सं.. 026258
फर्म पंजीकृत सं.. 002367S
UDIN No.22026258BFNMNG8140

Sd/-
श्री डॉ रमणामूर्ति
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 15.12.2022.

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

Sd/-
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

Sd/-
कप्तान एस.दिवाकर
निदेशक

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड			
नकद प्रवाह का विवरणिका			
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			
	विवरण	31 मार्च 2022 तक रु.लाखों में	31मार्च 2021 तक रु.लाखों में
ए	प्रचालन कार्यकलाप से नकद प्रवाह		
	असाधारण वस्तु और कर से पहले निबल लाभ	-10.22	123.07
	समायोजन :		
	वर्ष के लिए मूल्यहास	-	0.01
	निवेश से ब्याज	(64.61)	(177.78)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(74.83)	(54.70)
	कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन		
	व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/घटाई	1.00	0.00
	ऋण तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां में (वृद्धि)/घटाई	81.30	24.82
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि/(घटाई)	25.94	(9.89)
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तिया में वृद्धि/(घटाई)	24.52	0.69
	अन्य चालू देयताएं में वृद्धि/(घटाई)	(11.72)	(4.92)
	अन्य गैर चालू देयताएं में वृद्धि/(घटाई)	(19.99)	0.00
	प्रावधान में वृद्धि/(घटाई)	(2,000.00)	(962.13)
	चालू कर देयताएं में वृद्धि/(घटाई)	(42.55)	(0.00)
	प्रचालन से नकद उपार्जन	(2,016.34)	(1,006.11)
	आय कर भुगतान	-	(25.50)
	विशिष्ट मदों के पहले नकद प्रवाह	(2,016.34)	(1,031.61)
	विशिष्ट मदों		
पूँजी कार्य में प्रगति के बिक्री पर हानी	-	-	
हानि के लिए प्रावधान	-	-	
गैर नकद वस्तुओं के लिए समायोजित	-	-	
विशिष्ट मदों से पहले नकद प्रवाह	-	-	
प्रचालन कार्यकलापों से निबल नकद	(2,016.34)	(1,031.61)	
बी	निवेश कार्यकलापों से निबल नकद		
	निवेश से ब्याज	64.61	177.78
	पूँजी कायं में प्रगति व पीपीई को (जोड़)/घटाएँ		
	निवेश कार्यकलापों से निबल नकद	64.61	177.78
सी	वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह	-	-
	नकद तथा नकद समतुल्यों में निबल वृद्धि	(1,951.72)	(853.83)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद समतुल्यों	2,320.19	3,174.02
	वर्ष के समाप्ति में नकद तथा नकद समतुल्यों	368.47	2,320.19
विशिष्ट लेखा नीतियाँ			
वित्तीय तालिकाओं पर टिप्पणी को देखे		1 to 32	
हमारे समादेनांकित प्रतिवेदन के अनुसार कृते नारायण अय्यर अण्ड कंपनी चाटेटेड लेखाकार ह/- एस. स्वामीनादन सदस्यता सं.. 026258 फर्म पंजीकृत सं.. 002367S ह/- श्री डी रमण मूर्ति महा प्रबंधक (एफ) ह/- अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक ह/- कप्तान एस.दिवाकर निदेशक			
स्थान: चेन्नै			
दिनांक : 15.12.2022			

सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड
 इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण
 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

ए)	इक्विटी शेयर पूंजी		
		शेयर की संख्या	राशि
	प्रत्येक मुद्दे रु.10 की इक्विटी शेयर, सब्सक्राइड और पूरी तरह से भुगतान किया गया	74,50,00,000	74,500
	31 मार्च 2020 तक	74,50,00,000	74,500
	शेयर पूंजी की मर्दें	-	-
	31 मार्च 2021 तक	74,50,00,000	74,500
	शेयर पूंजी की मर्दें	-	-
	31 मार्च 2022 तक	74,50,00,000	74,500

बी)	अन्य इक्विटी			
	31 मार्च 2022 को सामप्त वर्ष के लिए			
		पूँजी आरक्षण	बरकरार उपार्जन	कुल अन्य इक्विटी
	31 मार्च 2021 तक	1,499.59	5,499.35	6,998.94
	अवधि के लिए लाभ & अतिरिक्त मूल्यहास	-	(10.22)	(10.22)
	अन्य व्यापक आय, कर का निबल	-	-	-
	कुल व्यापक आय	-	(10.22)	(10.22)
	31 मार्च 2022 तक	1,499.59	5,489.13	6,988.72

31 मार्च 20120 को सामप्त वर्ष के लिए

	पूँजी आरक्षण	बरकरार उपार्जन	कुल अन्य इक्विटी
31 मार्च 2020 तक	1,499.59	5,499.35	6,998.94
अवधि के लिए लाभ & अधिक मूल्यहास	-	80.52	80.52
अन्य व्यापक आय, कर का निबल	-	-	-
कुल व्यापक आय	-	80.52	80.52
31 मार्च 2021 तक	1,499.59	5,499.35	6,998.94

हमारे समादिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार
 कृते नारायण अय्यर अण्ड कंपनी
 चाटेटेड लेखाकार

ह/-
 एस. स्वामीनादन
 सदस्यता सं.. 026258
 फर्म पंजीकृत सं.. 002367S

ह/-
 श्री डी रमण मूर्ति
 महा प्रबंधक (एफ)

स्थान: चेन्नै
 दिनाक : 15.12.2022

बोर्ड की ओर से तथा के लिए

ह/-
 अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

ह/-
 कप्तान एस.दिवाकर
 निदेशक



**Sethusamudram
Corporation Limited**

(A Government of India Enterprises)

Corporate office :
Anchor Gate Building
1st Floor, Rajaji Salai,
Chennai - 600001.
Tel : 044 - 25270651
Email : scl.sscp@gmail.com